सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड I)

2020-21

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वित्त लेखे (खण्ड I)

वर्ष 2020-21 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड I		
■	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii -vii
■	वित्त लेखे की निर्देशिका	ix-xiv
विवरण 1	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुबंध क- रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	7
विवरण 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	8-10
विवरण 4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	11-15
विवरण 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	16-20
विवरण 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	21-22
विवरण 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण	23-24
विवरण 8	सरकार के निवेशों का विवरण	25
विवरण 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	26
विवरण 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	27-28
विवरण 11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	29
विवरण 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण	30-32
विवरण 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार	33-34
■	लेखे पर टिप्पणियाँ	35-90
खण्ड II		
भाग I विस्तृत विवरणी		
विवरण 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	84-122
विवरण 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	123-187
विवरण 16	लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	188-315
विवरण 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	316-332
विवरण 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	333-381
विवरण 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	382-403
विवरण 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण	404-412
विवरण 21	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	413-424
विवरण 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेशों का विस्तृत विवरण	425-429

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
भाग II परिशिष्ट		
परिशिष्ट I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	431-440
परिशिष्ट II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	441-445
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	446-472
परिशिष्ट IV	बाह्य संपोषित परियोजनाएँ का ब्यौरा	473-475
परिशिष्ट V	स्कीम व्यय	476-531
	क. केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	
	ख. राज्य राज्य स्कीम	
परिशिष्ट VI	केन्द्रीय योजना निधि का राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का परिचालन) (अअंकेक्षित आंकड़े)	532-558
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकार्यता तथा मिलान	559-561
परिशिष्ट VIII	सिंचाई निर्माण कार्यो के वित्तीय परिणाम	562-563
परिशिष्ट IX	सरकार की प्रतिबद्धता-अपूर्ण पूँजीगत कार्यो की सूची	564-615
परिशिष्ट X	वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से के अलगाव के साथ अनुरक्षण व्यय	616-618
परिशिष्ट XI	बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय	619
परिशिष्ट XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	620
परिशिष्ट XIII	राज्य का पुनर्गठन- मदें जिसके शेषों का विभाजन राज्यों के बीच अंतिम रूप से नहीं हुआ है	621-625

वित्त लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें बिहार सरकार के नियंत्राधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणियों 8, 9, 10, 15 (अनुबंध-1), 17(ख), 17(ग), 19 और 20 और परिशिष्ट III, IV, IX, XI और XII को बिहार सरकार / निगमों / कम्पनियों / सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2020-21 वर्ष के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गयी नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे वित्त, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

महत्वपूर्ण विषय

मै निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और संपूर्णता तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं पर घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

1. 2020-21 की अवधि के लिए नई पेंशन योजना में कुल योगदान ₹1,924.80 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹802.00 करोड़ और नियोक्ता का योगदान ₹1,122.80 करोड़) होना था जिसमें से ₹1,901.76 करोड़ की राशि नामित प्राधिकरण (एनएसडीएल) को योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश हेतु हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा, एनएसडीएल को हस्तांतरित किए जाने वाले पिछले वर्षों के शेष ₹390.97 करोड़ में से, ₹75.05 करोड़ 2020-21 के दौरान हस्तांतरित किए गए। परिणामस्वरूप, ₹338.96 करोड़ की शेष राशि (पिछले वर्षों की शेष राशि ₹315.92 करोड़ और वर्तमान वर्ष की शेष राशि ₹23.04 करोड़) अभी तक एनएसडीएल को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस प्रकार, वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित की गई है।

2. राज्य सरकार के विभागों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹4,834.28 करोड़ के 6,308 एसी विपत्र आहरित किए, जिनमें से ₹429.32 करोड़ राशि के 1,833 एसी विपत्र सिर्फ मार्च 2021 में आहरित किए गए। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यत: बजट प्रावधानों को नि:शेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

   इसके अलावा, ₹8,625.43 करोड़ के 20,196 एसी बिल जो 2019-20 तक आहरित किए गए थे, भी 31 मार्च 2021 तक बकाया थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक ₹13,459.71 करोड़ के कुल 26,504 एसी बिल बकाया थे। अग्रिम निकालना और लेखा नहीं करना अपव्यय/दुरूपयोग की संभावना बढ़ाता है।

3. वर्ष 2020-21 में ₹15,911.62 करोड़ के 608 उपयोगिता प्रमाणपत्र देय हुए, जो बिहार सरकार के विभागों द्वारा दिये गये सहायता अनुदान के विरूद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकारों द्वारा समर्पित नहीं किये गये। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹15,911.62 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए खर्च की गयी है, जिसके लिये इसे स्वीकृत/अधिकृत किया गया था।

इसके अलावा, ₹76,775.69 करोड़ के कुल 3,278 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 2019-20 में प्रस्तुतीकरण के लिए लंबित थे वे भी 31 मार्च 2021 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹92,687.31 करोड़ के कुल 3,886 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2021 तक प्रस्तुतीकरण के लिए लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की अधिकता, निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। प्रमुख चूककर्त्ता विभाग पंचायती राज विभाग (₹26,922.39 करोड़), शिक्षा विभाग (₹19,212.69 करोड़) एवं समाज कल्याण विभाग (₹10,941.87 करोड़) हैं।

4. 10 व्यक्तिगत जमा खातों जिसमें जमा राशि ₹1.54 करोड़ है, को अभीतक व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीटीएमआईएस) से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) में स्थानांतरित नहीं किया गया है। किसी भी कोषागार पदाधिकारी/प्रशासक ने पीडी खातों में अव्ययित राशि को संचित निधि के संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कमी के रूप में वापसी की जानकारी नहीं दी थी। सीएफएमएस आँकड़ों के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक ₹3,811.33 करोड़ पीडी लेखे में जमा थे।

5. पिछले कई वर्षो से, बिहार सरकार राजस्व और पूंजीगत मुख्यशीर्षों के लेखे को नामे करके, समेकित निधि से राशि को लोक लेखे (विशेष रूप से डिपोजिट खातों) में स्थानांतरित कर रही है। इस प्रकार स्थानांतरित की गई राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में लेखों में लिया जाता है जबकि वास्तविक व्यय वर्ष के दौरान हुआ है अथवा नहीं यह सुनिश्चित नहीं है। विगत वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय, डिपाजिट खातों को दर्शाते हुए 31 मार्च 2021 तक स्थानांतरित समेकित राशि ₹28,573.60 करोड़ थी। प्रवृत्ति विश्लेषण यह दर्शाता है कि पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किये गये निधि को पिछले पांच वर्षो के दौरान मुख्यशीर्ष-8448 को 50 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक स्थानांतरित किया गया है जो महत्वपूर्ण है।

6. राज्य सरकार ने 33 राज्य लोक उपक्रमों को जिनमें 31 मार्च 2021 को लेखे में बकाया थे उन्हें ₹20,145.84 करोड़ की बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान और सब्सिडी) और स्वीकृत दायित्व (गारंटी) प्रदान की। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 44 वर्ष तक के अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया है।

मैं, इसलिए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, कंपनी अधिनियम और संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों के अंतर्गत इन सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लेखे के प्रमाणीकरण के अपने दायित्व के पालन में असमर्थ हूँ।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपर्युक्त विषयों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों में विस्तृत किया गया है।

दिनांक: 15 दिसम्बर 2021
स्थान : नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की निर्देशिका

क. सरकारी लेखे के संरचना का वृहद् सार

1. बिहार सरकार के वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित राज्य सरकार के लोक-ऋण एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बन्धपत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के अदायगी हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि सम्मिलित है। इस निधि से राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित एवं भारत के संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा प्रदत्त रीतियों के अनुरूप हो। निश्चित श्रेणियों के व्यय (यथा, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण अदायगियाँ आदि) राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होते हैं तथा उनके लिए विधानमंडल के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदेय होते हैं।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं : राजस्व एवं पूँजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत बाँटा गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों, यथा-'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। इन तीन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे-'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवायें' आदि में बाँटा गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग में खण्ड या उप-खण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। राजस्व व्यय के इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में बाँटा गया है। पूँजीगत व्यय अनुभाग को सात खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें', 'लोक-ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' तथा 'आकस्मिकता निधि में अंतरण' में उपविभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे विधायिका विधि द्वारा स्थापित करती है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे डालकर की जाती है। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि ₹350 करोड़ है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य जैसे-अल्प बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के साथ उपलब्ध निवल रोकड़ शेष को भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा में छः खण्ड शामिल हैं, यथा-'लघु बचत', 'भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में उपविभाजित किया गया है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

3. सरकारी लेखे एक छः स्तरीय वर्गीकरण के अधीन दर्शाए जाते हैं; यथा-मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो) तथा विषय शीर्ष (दो)। मुख्यशीर्ष सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों को, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को तथा विषय शीर्ष व्यय के उद्देश्य/विषय को दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति सम्मिलित है (31 मार्च 2021 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	-	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	-	राजस्व व्यय
4000	-	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	-	पूँजीगत व्यय (लोक- ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)
7999	-	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	-	आकस्मिकता निधि
8001-8999	-	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों का उल्लेख करता है। वित्त लेखे में आँकड़ों को निवल स्तर पर दर्शाया जाता है अर्थात, वसूलियों के लिए व्यय में कटौती के रूप में लेखांकन के बाद। यह प्रक्रिया विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों के लिए मांग में तथा विनियोग लेखे में वर्णन से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल रूप में दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे की संरचना

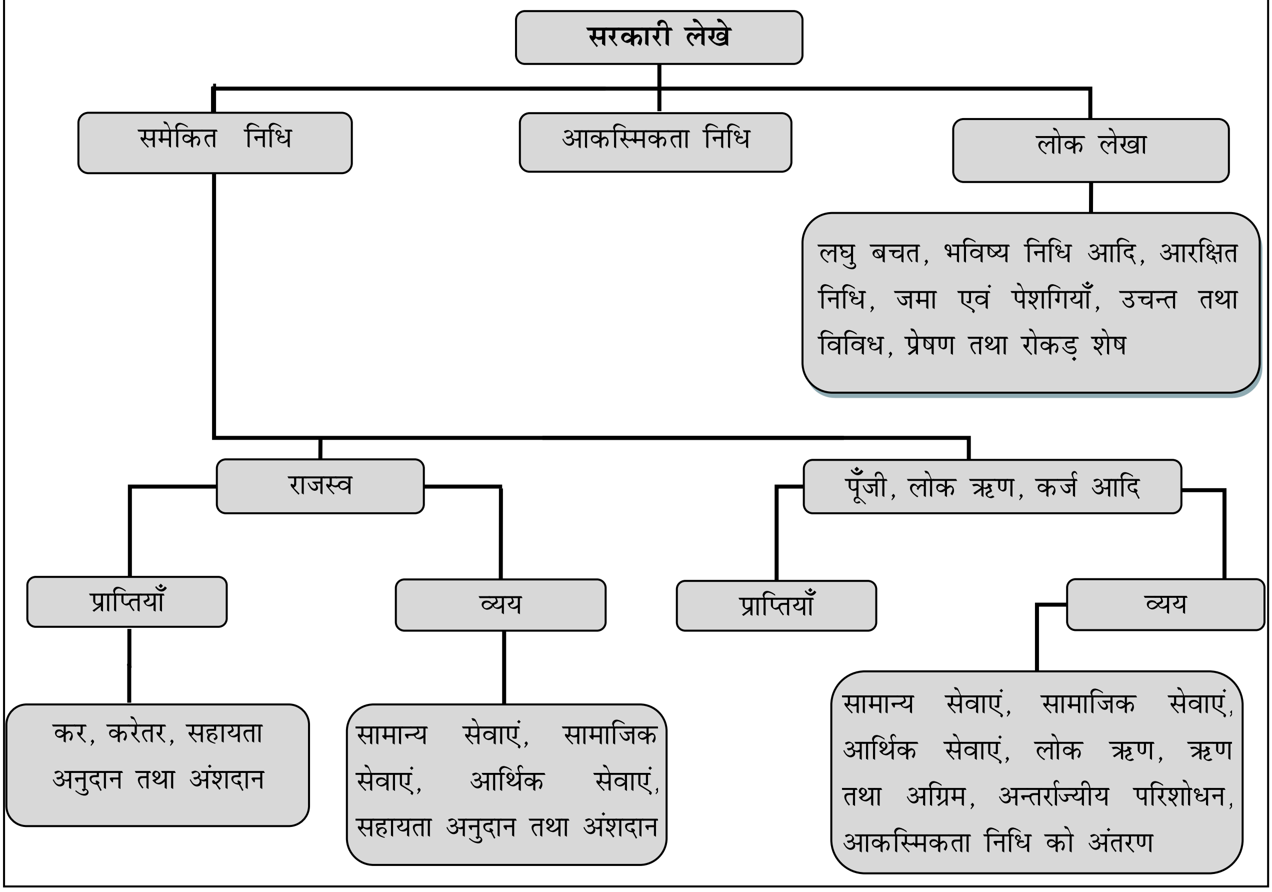

ख. वित्त लेखे में क्या सन्निहित होते हैं

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, 13 विवरणियाँ जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना प्रदान करते है, लेखे पर टिप्पणियाँ तथा लेखे पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट सन्निहित होता है। **खण्ड I** में **13** विवरणियों के ब्योरे नीचे दिए गए है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।

6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि' तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।

9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण :** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

11. **दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार:** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।

खण्ड II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।

16. **लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।

18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।

20. सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए शेषों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

22. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग-II में 13 परिशिष्ट होते हैं जिसमें विभिन्न विषयों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य संपोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय स्कीमों एवं राज्य स्कीमों से संबंधित स्कीमवार व्यय आदि सम्मिलित होता है। लेखे में इनके ब्योरे को उपशीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष से नीचे) तक दर्शाया जाता है और प्रायः इन्हें वित्त लेखे में दर्शाए नहीं जाते हैं। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय सूची' पर दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों सहित विवरणियों का पठन, राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सहज तालिका

निम्न अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणियों को खण्ड II में विस्तृत विवरणियों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (उन परिशिष्टों को जिनका संक्षिप्त विवरणियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नीचे नहीं दिखाए गए है):

मानदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)	विस्तृत विवरण (खण्ड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियॉ	2, 3	14	-
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2,10	-	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	-
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	-
सरकार द्वारा कम्पनियों एवं निगमो में निवेश आदि	8	19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा शेष एवं तत्संबंधी निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	-
गारंटियाँ	9	20	-
योजनाएँ	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएँ) V (स्कीम व्यय)

घ. आवर्ती समायोजन तथा पुस्त समायोजन

कतिपय संव्यवहार जो लेखे में दृष्टिगोचर होते हैं, लेखांकन के समय रोकड़ वास्तविक लेन-देन में सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें से कुछ संव्यवहार स्वयं लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों (जैसे-कोषागारों, प्रमण्डलों आदि) में घटित होते हैं। उदाहरणार्थ, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन से संबंधित संव्यवहारों (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूलियाँ आदि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्षा (उस विभाग से संबंधित) के नामे डालकर राजस्व/कर्ज/लोक लेखा प्राप्तियों को पुस्त समायोजनों द्वारा अभिलेखित करते हैं । इसी प्रकार 'शून्य विपत्र' जहाँ धन का अंतरण समेकित निधि एवं लोक लेखा के बीच होता है, लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर होने वाले गैर-रोकड़ संव्यवहारों को दर्शाता है।

इसके अलावे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार के लेखे में निम्न प्रकार के आवर्ती समायोजनों एवं पुस्त समायोजनों को जिनका विस्तृत वर्णन लेखे पर टिप्पणियों के अनुबंध (खण्ड I) तथा संबंधित विवरणियों के पाद टिप्पणियों में दर्शाए जाते हैं, को पूर्ण किया जाता है।

आवर्ती समायोजनों तथा पुस्त समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए है:

(1) निधियों का सृजन/समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन, जैसे-राज्य आपदा रिस्पौंस निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि आदि।

(2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्षो को जमा करना।

(3) राज्य सरकार समूह बीमा योजना तथा सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज को नामे कर के तथा मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि एवं मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधि को जमा करके किया जाता है।

(4) भारत सरकार के योजना के अधीन कर्ज माफी समायोजन केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित है। इस प्रकार के समायोजन (जहाँ केन्द्रीय कर्जो को मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवायें को जमा करके मुख्य शीर्ष 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में प्रति इन्द्राज करते हुए) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण शीर्ष दोनों को प्रभावित करता है।

ङ पूर्णन

वित्त लेखे खण्ड I एवं II में जहाँ कहीं ₹0.01 करोड़/लाख का अंतर है, पूर्णन के कारण है।

संक्षिप्त विवरणी

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ[1]	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			**24,864.64**	**24,912.65**
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	234.65	234.65
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	761.43	760.97
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	17,826.65	17,588.74
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	301.79	588.07
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश[2]		22	5,740.12	5,740.22
पूँजीगत व्यय		16	**2,35,687.92**	**2,17,479.32**
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		8	32,870.61	31,667.39
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			2,02,817.31	1,85,811.93
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			0.00	0.00
कर्ज तथा उधार		18	**21,743.77**	**21,450.23**
सिविल अग्रिम		21	**249.96**	**249.96**
उचंत तथा विविध शेष[3]		21	**15,378.20**	**10,498.30**
प्रेषण शेष		21	**1,118.43**	**1,916.87**
प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई[4]			0.00	0.00
जोड़ :			**2,99,042.92**	**2,76,507.33**

[1] परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आँकड़ें संचयी हैं । कृपया ''लेखे पर टिप्पणियाँ'' अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखी जाय।

[2] उद्दिष्ट निधियों से निवेश पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं हैं।

[3] इस विवरण के पंक्ति मद 'उचंत तथा विविध शेष' में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत ₹15,377.65 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8679-अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे के अंतर्गत ₹0.55 करोड़ शामिल है।

[4] व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई या प्राप्तियों से व्यय की संचयी अधिकाई एक दूसरे से भिन्न है और वर्त्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय /राजस्व हानि नहीं है।

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ *करोड़ में*)

देयतायें	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			**1,77,214.85**	**1,48,180.25**
(i) आंतरिक ऋण		17	1,59,557.50	1,36,082.09
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	17,657.35	12,098.16
योजनेतर कर्ज		17	0.58	0.58
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	191.29	191.29
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	1.01	1.01
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कर्ज		17	0.53	0.53
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज		17	40.63	45.51
अन्य कर्ज		17	17,423.31	11,859.24
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		12	**74.01**	**74.01**
आकस्मिकता निधि (संग्रह)		21	**350.00**	**350.00**
लोक लेखा पर देयताएं			**55,831.77**	**51,005.67**
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि		21	9,445.38	9,279.09
(ii) जमा		21	39,634.21	35,373.24
(iii) आरक्षित निधि		21	6,641.19	6,289.49
(iv) प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v) उचंत तथा विविध शेष			110.99	63.85
व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई[5]		12	**65,572.29**	**76,897.40**
जोड़ :			**2,99,042.92**	**2,76,507.33**

[5]आँकड़ा ₹65,572.29 करोड़, कुल पूँजीगत तथा अन्य व्यय और निधियों के प्रमुख स्रोतों का निवल परिणाम है। विस्तृत ब्योरा विवरणी 12 में दिया गया है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020-21	2019-20		2020-21	2019-20
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**1,28,168.34**	**1,24,232.53**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	**1,39,493.45**	**1,26,016.66**
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित) *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**30,341.67**	**30,157.98**	वेतन[1] *(संदर्भ. विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-I)*	21,802.11	20,375.92
करेतर राजस्व *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**6,201.38**	**3,699.60**	सहायता अनुदान[2] *(संदर्भ. विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)*	54,928.98	46,581.54
			सब्सिडी *(संदर्भ. परिशिष्ट-II)*	8,164.63	7,121.27
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	3,241.97	1,416.48	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ. विवरण 4 एवं 15)*	**36,716.74**	**32,699.36**
अन्य *(संदर्भ. विवरण 3)*	2,959.41	2,283.12	पेंशन *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	19,635.15	17,110.38
			ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवा *(संदर्भ. विवरण 4- क, 4-ख एवं 15)*	12,484.09	11,836.44
			अन्य *(संदर्भ. विवरण 4-ख)*	4,597.50	3,752.54
संघीय कर/शुल्क में हिस्सा *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**59,861.41**	**63,406.33**	**सामाजिक सेवाएं** *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**13,210.10**	**15,370.96**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**4,668.93**	**3,866.02**
केन्द्रीय सरकार से अनुदान *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**31,763.88**	**26,968.62**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन[3]** *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**1.96**	**1.59**
राजस्व घाटा	**11,325.11**	**1,784.13**	**राजस्व आधिक्य**	**0.00**	**0.00**

[1] एक समेकित आँकड़ा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रभागों (सामान्य सेवायें- ₹9,522.39 करोड़, सामाजिक सेवायें- ₹50,597.50 करोड़ तथा आर्थिक सेवायें- ₹24,775.83 करोड़) के वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान संबंधी आँकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में दर्शाये गये 'सामान्य', 'सामाजिक' तथा 'आर्थिक सेवाओं' के प्रभागाधीन व्यय के अन्तर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान सम्मिलित नहीं हैं (पाद टिप्पणी-2 में व्याख्यायित)।

[2] राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान दिया जाता है, जिसे ऊपर एक पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले शुल्क, करों के क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन से भिन्न है जिसे ''स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन'' के रूप में अलग से पंक्ति मद में दिखलाया गया है।

[3] मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत लेखांकित राशि।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020-21	2019-20		2020-21	2019-20
अनुभाग-ब : पूँजी					
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**0.00**	**0.00**	**पूँजीगत व्यय** *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)*	**18,208.60**	**12,303.90**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	1,386.50	2,388.26
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	6,331.52	2,802.51
			आर्थिक सेवाएं [4] *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	10,490.58	7,113.13
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ. विवरण 3, 7 एवं 18)*	**820.43**	**30.40**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिमों** *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	**1,113.97**	**666.30**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	0.00	0.00
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	596.49	598.00
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	485.55	52.36
			अन्य *(संदर्भ. विवरण 7)*	31.93	15.94
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	**35,915.07**	**29,145.03**	**लोक ऋण की वापसी** *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	**6,880.47**	**7,109.83**
आंतरिक ऋण[5] (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	29,412.30	27,865.80	आंतरिक ऋण[5] (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	5,936.89	6,143.39
भारत सरकार से कर्ज *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	6,502.77	1,279.23	भारत सरकार से कर्ज *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	943.58	966.44
अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)	**0.00**	**0.00**	**अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)**	**0.00**	**0.00**
समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3)*	**1,64,903.84**	**1,53,407.96**	**समेकित निधि से कुल व्यय**[6] *(संदर्भ. विवरण 4)*	**1,65,696.49**	**1,46,096.69**
समेकित निधि में घाटा	**792.65**	**0.00**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**0.00**	**7,311.27**

[4] वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515, 4700 एवं 4711 तथा 4515 से संबंधित वेतनादि पर व्यय क्रमशः ₹42.49 करोड़ तथा ₹39.54 करोड़ सन्निहित है।

[5] पुनर्भुगतान से संबंधित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लेन-देनों की राशि क्रमशः वर्ष 2019-20 में ₹1,888.35 करोड़ एवं 2020-21 के लिए ₹1,888.35 करोड़ का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

[6] उचंत खाते में रखे गये ₹4,548.13 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि एनटीए के पैरा 2(xxii) में उल्लेखित है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2020-21	2019-20		2020-21	2019-20
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00
भाग - III लोक लेखा[7]					
अल्प बचत *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,384.46	2,038.31	अल्प बचत *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,218.17	1,847.91
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,441.39	2,609.44	आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,089.59	2,086.50
जमा *(संदर्भ. विवरण 21)*	67,691.39	60,400.34	जमा *(संदर्भ. विवरण 21)*	63,430.42	58,688.35
अग्रिम *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00	अग्रिम *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00
उचंत तथा विविध[9] (संदर्भ. विवरण 21)	4,74,079.97	6,36,269.92	उचंत तथा विविध[8] (संदर्भ. विवरण 21)	4,79,151.10	6,44,779.07
प्रेषण *(संदर्भ. विवरण 21)*	5.49	3.37	प्रेषण *(संदर्भ. विवरण 21)*	(-)792.95	799.87
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ. विवरण 21)*	5,46,602.70	7,01,321.38	कुल व्यय लोक लेखा *(संदर्भ. विवरण 21)*	5,46,096.33	7,08,201.70
लोक लेखा में घाटा	0.00	6,880.32	लोक लेखा में अधिशेष	506.37	0.00
आदि रोकड़ शेष	588.07	157.12	अंत रोकड़ शेष	301.79	588.07
रोकड़ में वृद्धि	0.00	430.95	रोकड़ में कमी	286.28	0.00

[7] कृपया विस्तृत सूचना के लिए भाग II के विवरणी 21 का संदर्भ लें।

[8] 'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' शामिल हैं, यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि। इन 'अन्य लेखे' के कारण आँकड़े वृहद रूप में प्रकट होते हैं। विस्तृत विवरण खण्ड II के विवरणी 21 में देखी जा सकती है।

विवरण 2 का अनुबंध क

रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹करोड़ में)

		31 मार्च 2021 को अन्तशेष	1 अप्रैल 2020 को आदिशेष
(क)	सामान्य रोकड़ शेष-		
(1)	रिजर्व बैंक के पास जमा	301.79	588.07
(2)	रोकड़ शेष से किए गए निवेश लेखा	17,826.65	17,588.74
	जोड़- (क)	**18,128.44**	**18,176.81**
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश**		
(1)	विभागीय अधिकारियों यथा वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	234.65	234.65
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	761.43	760.97
(3)	उद्दिष्ट निधियों से निवेश	5,740.12	5,740.22
	जोड़-(ख)	**6,736.20**	**6,735.84**
	जोड़- (क) और (ख)	**24,864.64**	**24,912.65**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य:-** रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत कोषागार में रोकड़ एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा तथा पारगमन में प्रेषण सम्मिलित है, जैसा पिछले पृष्ठ पर बताया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमा शीर्ष' के अन्तर्गत शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को चित्रित करता है। समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष में से निवेश/आरक्षित निधि आदि 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़कर की गई हैं।

   'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष उस शेष का द्योतक है जो 11 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर्राज्यीय मुद्रा निपटारे को लेखा में शामिल कर लेने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 सरकारी लेखा के अनुसार निकलता है।

   'रिजर्व बैंक में जमा' लेखे में प्रदर्शित राशि {₹311.16 करोड़ (नामे)} एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित राशि {₹9.37 करोड़ (नामे)} के बीच ₹301.79 करोड़ (नामे) का अन्तर था। यह अन्तर समाधान के अधीन है।

2. **दैनिक रोकड़ शेष:-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास ₹1.73 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता हैं। जब रोकड़ शेष करार के इस न्यूनतम शेष से किसी दिन कम पड़ जाता है तब इस कमी को समय-समय पर सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट से पूरा किया जाता है। दैनिक रोकड़ शेष की गणना रिजर्व बैंक के द्वारा 14 दिवसीय कोषागार विपत्र के साथ सूचित लेन-देन (एजेंसी बैंकों के द्वारा सूचित रिजर्व बैंक के काउन्टर पर अन्तर्राज्यीय लेन-देन एवं कोषागार लेन-देन) के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

   इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष को 14 दिवसीय कोषागार विपत्र, यदि कोई हो, के परिपक्व मूल्य जोड़ने के बाद, अधिक शेष, यदि कोई हो न्यूनतम रोकड़ शेष के संधारण के पश्चात् कोषागार विपत्र में पुनर्निवेशित किया जाता हैं। यदि इस प्रकार प्राप्त निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम हो अथवा जमा शेष हो एवं उस दिन को परिपक्व कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो रिजर्व बैंक पुन: 14 दिवसीय कोषागार विपत्र को बट्टे पर जारी कर इस कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन के लिए कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट हेतु आवेदन करती है।

3. **अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं:-** राज्य सरकार के लिए 1 अप्रैल 2006 से ₹425.00 करोड़ के साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा है। सरकार के प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को देने के संबंध में बैंक ने भी सहमति दी हैं। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की निर्धारित सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

   वित्तीय वर्ष 2020-21 में न्यूनतम शेष बिना कोई अग्रिम लिए बरकरार रखा गया।

4. रोकड़ शेष में से ₹17,826.65 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें 31 मार्च 2021 को भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹17,822.00 करोड़) और अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियॉ (₹4.65 करोड़) है। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹174.57 करोड़ का ब्याज प्राप्त
5. राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया गया।
6. उद्धिष्ट निधियों में से किये गये निवेशों का ब्योरा खण्ड-II में विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		वास्तविकी	
		2020-21	2019-20
	I-कर तथा करेतर राजस्व		
क.	**कर राजस्व**		
क. 1	**स्वकर राजस्व**	**30,341.67**	**30,157.98**
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,031.43	6,121.43
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	16,050.23	15,800.53
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,206.32	4,660.98
	माल तथा यात्री कर	5.68	22.86
	वाहन कर	2,267.75	2,712.75
	भू-राजस्व	302.37	275.28
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	125.81	114.42
	राज्य उत्पाद शुल्क	(-)4.42	(-)4.14
	अन्य	1,356.50	453.87
क. 2	**करों के निवल आगमों का हिस्सा**	**59,861.41**	**63,406.33**
	निगम कर	18,062.14	21,618.94
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	18,517.49	16,939.90
	सेवा कर	258.09	0.00
	संघ उत्पाद शुल्क	2,012.03	2,794.34
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)	0.00	0.00
	सीमा शुल्क	3,179.93	4,019.07
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	17,788.67	17,992.97
	धन कर	0.00	0.95
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	43.06	40.16
	जोड़ - क	**90,203.08**	**93,564.31**
ख.	**करेतर राजस्व**		
	ब्याज प्राप्तियाँ	3,241.97	1,416.48
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,708.93	1,572.07
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	2.24	1.64
	लोक सेवा आयोग	87.92	70.08
	पुलिस	122.87	96.31
	सड़क तथा सेतु	90.61	82.53
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	41.80	47.54
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	48.16	24.96
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	15.53	20.33
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.53	137.39
	मुख्य सिंचाई	24.07	12.64
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	11.50	17.13
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	26.36	25.36
	मध्यम सिंचाई	16.06	11.68
	श्रम तथा रोजगार	11.36	11.28
	जलापूर्ति तथा सफाई	9.59	37.38
	जेल	30.58	24.06

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण			वास्तविकी 2020-21	वास्तविकी 2019-20
ख.	मत्स्य पालन		16.86	14.28
	फसल कृषि-कर्म		8.47	13.12
	लोक निर्माण कार्य		4.79	8.60
	सहकारिता		6.17	2.36
	शहरी विकास		0.15	4.80
	आवास		4.29	4.05
	लघु सिंचाई		3.43	17.69
	नागर विमानन		3.15	1.95
	विविध सामान्य सेवाएं		33.57	3.67
	पर्यटन		0.00	2.35
	लाभांश तथा लाभ		603.01	1.62
	पशुपालन		0.67	0.70
	सूचना तथा प्रचार		0.14	0.24
	भूमि सुधार		0.14	0.13
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		0.07	0.17
	सड़क परिवहन		0.11	0.20
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		0.05	0.04
	उद्योग		0.11	14.64
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग		0.10	0.08
	सिविल पूर्ति		0.01	0.02
	अन्य सामाजिक सेवाएं		0.00	0.00
	अन्य कृषि कार्यक्रम		0.00	0.00
	डेरी विकास		0.00	0.02
	अंतर्देशीय जल परिवहन		0.01	0.01
जोड़ - ख			**6,201.38**	**3,699.60**
ग.	**II- भारत सरकार से अनुदान**			
	अनुदान			
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान			
	योजनेतर अनुदान	अन्य अनुदान	0.00	0.00
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	अन्य अनुदान	(-)33.57	(-)40.27
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		0.00	0.00
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		16,609.56	15,302.04
	वित्त आयोग अनुदान	राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	1,416.00	1,031.12
		अन्य अनुदान	7,434.00	6,312.49

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण			वास्तविकी 2020-21	वास्तविकी 2019-20
ग.	**राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान**	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	0.00	37.47
		राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस निधि में योगदान के लिए अनुदान	1,255.27	553.17
		जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा	4,359.28	3,524.79
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	425.93	223.16
		अन्य अनुदान	297.41	24.65
	जोड़ - ग		**31,763.88**	**26,968.62**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		**1,28,168.34**	**1,24,232.53**
	III- पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ			
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ**			
	विनिवेश से प्राप्तियाँ		0.00	0.00
	अन्य		0.00	0.00
	जोड़ - घ		**0.00**	**0.00**
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**			
	आंतरिक ऋण		**29,412.30**	**27,865.79**
		बाजार कर्ज	27,285.00	25,572.54
		आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए०[1]	0.00	0.00
		बंध पत्र	0.00	0.00
		वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	2,127.30	2,293.25
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
		अन्य कर्ज	0.00	0.00
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		**6,502.77**	**1,279.23**
		योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.33	0.81
		राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	6,502.44	1,278.42
	जोड़ - ङ		**35,915.07**	**29,145.02**
च.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (वसूलियाँ)[2]**		**820.43**	**30.40**
छ.	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**		**0.00**	**0.00**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ[3] (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**1,64,903.84**	**1,53,407.95**

[1] डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

[2] विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 18 में हैं।

[3] विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 14 तथा 17 में हैं।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	187.24	0.00	0.00	187.24
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	0.21	0.00	0.00	0.21
	मंत्रिपरिषद	24.77	0.00	0.00	24.77
	न्याय प्रशासन	1,020.14	0.00	0.00	1,020.14
	निर्वाचन	1,134.86	0.00	0.00	1,134.86
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**				
	भू-राजस्व	636.45	0.00	0.00	636.45
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	67.60	0.00	0.00	67.60
	राज्य उत्पाद शुल्क	110.96	0.00	0.00	110.96
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	(-)0.02 [1]	0.00	0.00	(-)0.02
	वाहन कर	81.17	0.00	0.00	81.17
	राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	131.05	0.00	0.00	131.05
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.32	0.00	0.00	1.32
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.74	10.85	0.00	13.59
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	0.05	0.00	0.00	0.05
	ब्याज अदायगिया¡	12,484.03	0.00	0.00	12,484.03
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं**				
	लोक सेवा आयोग	79.41	0.00	0.00	79.41
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	309.51	0.00	0.00	309.51
	जिला प्रशासन	497.11	0.00	0.00	497.11
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	86.42	0.00	0.00	86.42
	पुलिस	7,744.26	143.34	0.00	7,887.60
	जेल	445.34	0.00	0.00	445.34
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	11.10	0.00	0.00	11.10
	लोक निर्माण कार्य	388.76	576.96	0.00	965.72
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,231.24	655.35	0.00	1,886.59
क.4	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	19,635.15	0.00	0.00	19,635.15
	विविध सामान्य सेवाएं	(-)71.74 [1]	0.00	0.00	(-)71.74
	जोड़ - सामान्य सेवाएं	**46,239.13**	**1,386.50**	**0.00**	**47,625.63**
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति**				
	सामान्य शिक्षा [#]	26,318.25	736.36	596.49	27,651.10
	तकनीकी शिक्षा	218.96	0.00	0.00	218.96
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	41.36	0.00	0.00	41.36
	कला तथा संस्कृति	31.96	0.00	0.00	31.96

[1] ऋणात्मक आँकड़े अधिक भुगतान की वसूलियों के कारण हैं।

[#] सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं और कला तथा संस्कृति के लिए राजस्व व्यय हेतु अलग-अलग मुख्य शीर्ष है, किन्तु पूँजीगत परिव्यय के लिए ऊपर लिखित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के लिए एक ही मुख्य शीर्ष है। अतएव उक्त सभी कार्यकारी मुख्य शीर्षों से संबंधित व्यय की कुल राशि को एक ही पूँजीगत मुख्य शीर्ष (4202) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7,599.63	647.99	0.00	8,247.62
	परिवार कल्याण	904.72	0.00	0.00	904.72
ख.3	**जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**				
	जलापूर्ति तथा सफाई	1,741.10	4,645.73	0.00	6,386.83
	आवास	4,719.81	221.07	0.00	4,940.88
	शहरी विकास	5,001.32	0.00	0.00	5,001.32
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	181.62	0.00	0.00	181.62
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	830.08	31.44	0.00	861.52
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार और कोशल विकास	420.79	0.00	0.00	420.79
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7,080.50	29.50	0.00	7,110.00
	पोषण	1,998.89	0.00	0.00	1,998.89
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	6,635.65	0.00	0.00	6,635.65
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	13.71	19.43	0.00	33.14
	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	69.25	0.00	0.00	69.25
	जोड़ - सामाजिक सेवाएं	**63,807.60**	**6,331.52**	**596.49**	**70,735.61**
ग	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि-कर्म	1,318.43	1.41	0.00	1,319.84
	मृदा तथा जल संरक्षण	75.04	0.00	0.00	75.04
	पशुपालन	321.79	1.82	0.00	323.61
	डेरी विकास	100.76	0.00	0.00	100.76
	मछली पालन	50.54	0.00	0.00	50.54
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	600.70	53.23	0.00	653.93
	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	(-)0.31 [1]	7.13	0.00	6.82
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	373.76	0.00	0.00	373.76
	सहकारिता	437.63	28.70	147.15	613.48
	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.87	0.00	0.00	3.87
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,042.49	0.00	0.00	1,042.49
	ग्राम रोजगार	2,028.05	0.00	0.00	2,028.05
	भूमि सुधार	3.82	0.00	0.00	3.82
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	9,013.74	3,558.45	0.00	12,572.19

[1] ऋणात्मक आँकड़े अधिक भुगतान की वसूलियों के कारण हैं।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ग.3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	486.37	1,218.84	0.00	1,705.21
	मध्यम सिंचाई	841.16	257.19	0.00	1,098.35
	कमान क्षेत्र विकास	25.32	0.00	0.00	25.32
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	278.04	736.96	0.00	1,015.00
ग.4	**ऊर्जा**				
	बिजली	7,517.58	1,125.96	243.00	8,886.54
	नई और नवीकरणीय ऊर्जा	(-)18.99 [1]	0.00	0.00	(-)18.99
ग.5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	158.62	0.00	95.40	254.02
	उद्योग	226.49	0.00	0.00	226.49
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	33.45	0.00	0.00	33.45
	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए ऋण	0.00	115.50	0.00	115.50
ग.6	**परिवहन**				
	नागर विमानन	3.23	0.00	0.00	3.23
	सड़क तथा सेतु	3,371.89	3,203.58	0.00	6,575.47
	सड़क परिवहन	147.26	0.88	0.00	148.14
	अन्य परिवहन सेवाएं	0.23	50.00	0.00	50.23
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	10.00	0.00	0.00	10.00
ग.7	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	126.52	0.00	0.00	126.52
	पर्यटन	15.18	56.82	0.00	72.00
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	66.81	0.00	0.00	66.81
	सिविल आपूर्ति	720.46	0.00	0.00	720.46
	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं में निवेश	0.00	20.64	0.00	20.64
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	64.83	53.47	0.00	118.30
	जोड़ - आर्थिक सेवाएं	**29,444.76**	**10,490.58**	**485.55**	**40,420.89**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1.96	0.00	0.00	1.96
ङ	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	5,936.89	0.00	5,936.89
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	943.58	0.00	943.58
च	**ऋण तथा अग्रिम**				
	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	0.00	31.93	31.93
	जोड़ - सहायता अनुदान तथा अंशदान, लोक ऋण एवं कर्ज तथा पेशगियाँ	**1.96**	**6,880.47**	**31.93**	**6,914.36**
छ	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	जोड़ - समेकित निधि व्यय	**1,39,493.45**	**25,089.07**	**1,113.97**	**1,65,696.49**

[1] ऋणात्मक आँकड़े अधिक भुगतान की वसूलियों के कारण हैं।

ख- प्रकृतिवार व्यय

क्रम सं०	विषयवार व्यय	2020-2021		
		राजस्व	पूँजी	जोड़
1	सहायक अनुदान	54,928.98	0.00	54,928.98
2	निर्माण (मुख्य कार्य)	0.00	17,390.11	17,390.11
3	वेतन	21,802.11	39.54 $	21,841.65
4	पेंशन	19,671.64	0.00	19,671.64
5	ब्याज	12,484.04	0.00	12,484.04
6	निवेश	0.00	1,219.73	1,219.73
7	सब्सिडी	8,164.63	2.79	8,167.42
8	उधार की वापसी	0.00	6,880.47	6,880.47
9	लघु कार्य	3,340.03	61.99	3,402.02
10	छात्रवृत्ति	941.50	0.00	941.50
11	सामग्री तथा आपूर्ति	3,510.78	0.01	3,510.79
12	वाणिज्यिक तथा विशेष सेवायें	3,443.02	6.70 $	3,449.72
13	कार्यालय व्यय	2,882.17	2.81 $	2,884.98
14	मशीनरी तथा उपस्कर	344.28	277.42	621.70
15	मजदूरी	1,147.06	0.00	1,147.06
16	ऋण तथा अग्रिम	0.00	1,113.97	1,113.97
17	यात्रा व्यय	391.80	0.13 $	391.93
18	प्रकाशन तथा प्रचार	222.04	0.00	222.04
19	अन्य प्रशासनिक व्यय	86.95	0.00	86.95
20	पोशाक एवं परिधान	151.75	0.00	151.75
21	किराया, दर तथा शुल्क	92.11	0.17 $	92.28
22	मोटर वाहन	55.13	0.00	55.13
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	26.38	0.14 $	26.52
24	शस्त्र और गोला बारूद	28.23	0.00	28.23
25	पुरस्कार	4.49	0.00	4.49
26	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1.96	0.00	1.96
27	गुप्त सेवा व्यय	14.75	0.00	14.75
28	पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेन्ट (पीओएल)	0.06	0.00	0.06
29	अन्य	7,832.31	(-)646.44 #	7,185.87
30	घटाएं- अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)2,074.75	(-)146.50	(-)2,221.25
	जोड़	**1,39,493.45**	**26,203.04**	**1,65,696.49**

$ कार्यभारित स्थापना पर व्यय किया गया है।

सीआरएफ के तहत ₹649.09 करोड़ रुपये का समायोजन शामिल है।

(समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

2019-2020			2018-19		
राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
46,581.54	0.00	46,581.54	51,764.28	0.00	51,764.28
2.18	10,750.71	10,752.89	3.48	19,266.24	19,269.72
20,375.92	42.49 $	20,418.41	19,922.57	45.82 $	19,968.39
17,120.15	0.00	17,120.15	16,038.06	0.00	16,038.06
10,991.46	0.00	10,991.46	10,071.23	0.00	10,071.23
0.00	3,340.30	3,340.30	0.00	5,289.71	5,289.71
7,121.27	0.00	7,121.27	8,323.97	0.00	8,323.97
0.00	7,109.83	7,109.83	0.00	7,229.82	7,229.82
2,862.55	152.41	3,014.96	2,540.05	150.56	2,690.61
3,113.35	0.00	3,113.35	2,433.03	0.00	2,433.03
2,275.34	2.05	2,277.39	2,172.01	2.06	2,174.07
3,056.38	4.58 $	3,060.96	2,580.07	8.65 $	2,588.72
151.14	2.58 $	153.72	1,529.13	3.61 $	1,532.74
201.99	365.40	567.39	183.91	230.21	414.12
1,279.52	0.00	1,279.52	923.72	0.00	923.72
0.00	666.30	666.30	0.00	1,470.56	1,470.56
255.76	0.10 $	255.86	198.80	0.22 $	199.02
277.95	0.00	277.95	220.49	0.00	220.49
153.16	0.32 $	153.48	151.86	0.00	151.86
126.58	0.06 $	126.64	177.02	0.08 $	177.10
68.41	0.26 $	68.67	80.57	0.06 $	80.63
10.41	0.00	10.41	86.90	0.00	86.90
28.27	0.06 $	28.33	24.17	0.02 $	24.19
45.52	0.00	45.52	43.29	0.00	43.29
5.14	0.00	5.14	6.41	0.00	6.41
1.59	0.00	1.59	3.91	0.00	3.91
4.79	0.00	4.79	4.00	0.00	4.00
0.39	0.00	0.39	0.59	0.00	0.59
10,990.91	102.79	11,093.70	6,949.61	186.92	7,136.53
(-)1,085.01	(-)2,460.21	(-)3,545.22	(-)1,536.32	(-)4,125.91	(-)5,662.23
1,26,016.66	**20,080.03**	**1,46,096.69**	**1,24,896.81**	**29,758.63**	**1,54,655.44**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
क.	**सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.63	289.42	10.85	300.27	92.72
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	419.36	3,446.15	143.34	3,589.49	(-)65.82
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.96	0.00	2.96	0
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,029.04	8,961.39	576.96	9,538.35	(-)43.93
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	934.23	7,555.15	655.35	8,210.50	(-)29.85
	जोड़ : क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**2,388.26**	**20,255.07**	**1,386.50**	**21,641.57**	**(-)41.95**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
(क)	***शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा***					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	197.68	7,003.34	736.36	7,739.70	272.50
	जोड़ - (क)	**197.68**	**7,003.34**	**736.36**	**7,739.70**	**272.50**
(ख)	***स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा***					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	862.34	7,300.72	647.99	7,948.71	(-)24.86
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	35.48	0.00	35.48	0
	जोड़ - (ख)	**862.34**	**7,336.20**	**647.99**	**7,984.19**	**(-)24.86**
(ग)	***जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा***					
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,453.84	11,978.24	4,645.73	16,623.97	219.55
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	174.91	1005.85	221.07	1,226.92	26.39
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	150.27	0.00	150.27	0
	जोड़ - (ग)	**1,628.75**	**13,134.36**	**4,866.80**	**18,001.16**	**198.81**
(घ)	***सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा***					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.80	0.00	8.80	0
	जोड़ - (घ)	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**8.80**	**0**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ङ)	*अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा*					
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	25.70	529.61	31.44	561.05	22.33
	जोड़ - (ङ)	**25.70**	**529.61**	**31.44**	**561.05**	**22.33**
(च)	*समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा*					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	34.14	958.08	29.50	987.58	(-)13.59
	जोड़ - (च)	**34.14**	**958.08**	**29.50**	**987.58**	**(-)13.59**
(छ)	*अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा*					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	53.90	1,050.14	19.43	1,069.57	(-)63.95
	जोड़ - (छ)	**53.90**	**1,050.14**	**19.43**	**1,069.57**	**(-)63.95**
	जोड़ : ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**2,802.51**	**30,020.53**	**6,331.52**	**36,352.05**	**125.92**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
(क)	*कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा*					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	2.20	321.05	1.41	322.46	(-)35.91
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	14.30	0.00	14.30	0
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.06	1.82	10.88	0
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	13.81	0.00	13.81	0
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.91	0.00	1.91	0
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	59.56	222.55	53.23	275.78	(-)10.63
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	1.77	1,108.44	7.13	1,115.57	302.82
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.78	0.00	0.78	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	6.87	706.88	28.70	735.58	317.76
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	26.61	0.00	26.61	0
	जोड़ - (क)	**70.40**	**2,425.39**	**92.29**	**2,517.68**	**31.09**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ख)	*ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा*					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,590.73	43,838.41	3,558.45	47,396.86	123.70
	जोड़ - (ख)	**1,590.73**	**43,838.41**	**3,558.45**	**47,396.86**	**123.70**
(घ)	*सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा*					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	379.92	9,414.62	1,218.84	10,633.46	220.81
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	(-)11.54	7,327.91	0.00	7,327.91	(-)100.00
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	225.28	2,511.10	257.19	2,768.29	14.16
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.58	0.00	0.58	0
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	(-)39.10	11,188.47	736.96	11,925.43	(-)1984.81
	जोड़ - (घ)	**554.56**	**30,442.68**	**2,212.99**	**32,655.67**	**299.05**
(ङ)	*ऊर्जा का पूँजीगत लेखा*					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,067.32	33,100.10	1,125.96	34,226.06	(-)63.29
4810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.50	0.00	1.50	0
	जोड़ - (ङ)	**3,067.32**	**33,101.60**	**1,125.96**	**34,227.56**	**(-)63.29**
(च)	*उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा*					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	177.32	0.00	177.32	0
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	43.72	0.00	43.72	0
4855	उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	0
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.00	0.00	9.00	0
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.88	0.00	0.88	0
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	137.32	534.76	115.50	650.26	(-)15.89
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.86	0.00	54.86	0
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.24	0.00	0.24	0
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1,743.35	0.00	1,743.35	0
	जोड़ - (च)	**137.32**	**2,565.49**	**115.50**	**2,680.99**	**(-)15.89**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(छ)	***परिवहन का पूँजीगत लेखा***					
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	152.44	550.84	0.00	550.84	0
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,202.05	52,581.69	3,203.58	55,785.27	166.51
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	(-)0.93	121.88	0.88	122.76	(-)194.62
5075	अन्य परिवहन सेवाएं	160.00	164.87	50.00	214.87	(-)68.75
	जोड़ - (छ)	**1,513.56**	**53,419.28**	**3,254.46**	**56,673.74**	**115.02**
(ञ)	***सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा***					
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	63.85	651.16	56.82	707.98	(-)11.01
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत परिव्यय	111.15	585.99	20.64	606.63	(-)81.43
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.24	173.72	53.47	227.19	1161.08
	जोड़ - (ञ)	**179.24**	**1,410.87**	**130.93**	**1,541.80**	**(-)26.95**
	जोड़ : ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**7,113.13**	**1,67,203.72**	**10,490.58**	**1,77,694.30**	**47.48**
	जोड़ : व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	**12,303.90**	**2,17,479.32** *	**18,208.60**	**2,35,687.92** *	**47.99**

*14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार का पूँजीगत व्यय (₹11,935.23 करोड़) सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2021)।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा खण्ड-॥ के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
2. वर्ष 2020-21 के अंत तक ₹2,35,687.92 करोड़ की कुल पूँजी परिव्यय, जिसमें संयुक्त बिहार के लिए 14 नवम्बर 2000 तक का ₹11,935.23 करोड़ का प्रगामी परिव्यय सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्त्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखंड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2021)।
3. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश के ब्योरे खण्ड-॥ के विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।
4. सिंचाई योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष ''4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय'' के अन्तर्गत दिखाये गये हैं। चार योजनाएँ जिसे वाणिज्यिक घोषित की गई है, उनके वित्तीय परिणाम खण्ड-॥ के परिशिष्ट VIII में दिखाये गये हैं।
5. 2 अप्रैल 1973 को बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्न आपूर्ति योजना निगम को स्थानांतरित कर दी गई है, स्थानांतरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
6. सरकार के निवेश-वर्ष 2020-21 में सरकार ने ₹1,203.22 करोड़ का निवेश किया। सरकारी कंपनियों में ₹1,146.60 करोड़, ज्वांट स्टोक कंपनी एवं पार्टनरशिप में ₹48.49 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं में ₹8.13 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में विभिन्न संस्थाओं के हिस्सा पूँजी में सरकार द्वारा क्रमशः ₹28,327.00 करोड़, ₹31,667.39 करोड़ तथा ₹32,870.61 करोड़ का कुल निवेश किया गया।

   14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार के कुल निवेश (₹655.94 करोड़) का विभाजन वर्त्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2021)।

   अंतिम तीन वर्षो के दौरान प्राप्त लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश/ब्याज (₹ करोड़ में)
2018-2019	13.66
2019-2020	1.62
2020-2021	603.01

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण[1] (₹ करोड़ में)

	उधार की प्रकृति	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+) या कमी (-)		कुल दायित्त्व का प्रतिशत
						राशि	प्रतिशत	
क.	**लोक ऋण**							
6003	**राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**	**1,36,082.09**	**29,412.30**	**5,936.89**	**1,59,557.50**	**23,475.41**	**17.25**	**70.23**
	बाजार कर्ज	107,372.74	27,285.00	2,600.09	1,32,057.65	24,684.91	22.99	58.13
	आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए०[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बंध पत्र	2,350.70	0.00	0.00	2,350.70	0.00	0.00	1.03
	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	8,608.90	2,127.30	1,448.45	9,287.75	678.85	7.89	4.09
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	17,742.30	0.00	1,888.35	15,853.95	(-)1,888.35	(-)10.64	6.98
	अन्य कर्ज	7.45	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
6004	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**	**12,098.16**	**6,502.77**	**943.58**	**17,657.35**	**5,559.19**	**45.95**	**7.77**
	योजनेतर कर्ज	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	191.29	0.00	0.00	191.29	0.00	0.00	0.08
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
	डब्लू०एम०ए०	42.96	0.00	0.00	42.96	0.00	0.00	0.02
	1984-85 के पूर्व के कर्ज	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज	45.51	0.33	5.21	40.63	(-)4.88	(-)10.72	0.02
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	11,812.37	6,502.44	938.37	17,376.44	5,564.07	47.10	7.65
	जोड़ : क. लोक ऋण	**1,48,180.25**	**35,915.07**	**6,880.47**	**1,77,214.85**	**29,034.60**	**19.59**	**78.00**
ख.	**अन्य दायित्त्व**							
लोक लेखे								
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि		9,279.09	2,384.46	2218.17	9,445.38	166.29	1.79	4.16
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ		522.95	2,441.29	2,063.17	901.07	378.12	72.31	0.40
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ		26.32	0.10	26.42	0.00	(-)26.32	(-)100.00	0.00
ब्याज सहित जमा		349.33	1,901.77	1,976.81	274.29	(-)75.04	(-)21.48	0.12
ब्याज रहित जमा		35,023.91	65,789.62	61,453.61	39,359.92	4,336.01	12.38	17.32
जोड़ : ख. अन्य दायित्त्व		**45,201.60**	**72,517.24**	**67,738.18**	**49,980.66**	**4,779.06**	**10.57**	**22.00**
जोड़ : लोक ऋण तथा अन्य दायित्त्व		**1,93,381.85**	**1,08,432.31**	**74,618.65**	**2,27,195.51**	**33,813.66**	**17.49**	**100.00**

[1] विस्तृत लेखा खण्ड-॥ में विवरण 17 में है।

[2] डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

टिप्पणी : ऋण शोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन कार्य इत्यादि के ब्योरे के लिए, इस विवरण के अगले पृष्ठ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ को देखा जाय।

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. **ऋण शोधन की व्यवस्था :** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008-09 में एक निक्षेप निधि सृजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 तक ₹5,740.12 करोड़ उपलब्ध कराया गया हैं।
2. **अल्प बचत निधि से कर्ज :** डाकघर में 'अल्प बचत योजनाओं' एवं 'लोक भविष्य निधि' की वसूली में से कर्ज को राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 अनुपात में हिस्सेदारी के रूप में बाँटा जा रहा है। अल्प बचत वसूलियों से कर्ज को विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय अल्प बचत निधि' का निर्माण किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान कोई नया कर्ज नहीं प्राप्त किया गया केवल ₹1,888.35 करोड़ के कर्ज की अदायगी वर्ष के दौरान की गई। वर्ष के अन्त तक शेष बकाया ₹15,853.95 करोड़ था जो 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 8.95 प्रतिशत था।
3. **भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, बाजार ऋण इत्यादि :** भारत सरकार से प्राप्त कर्जो का ब्योरा खण्ड-।। के विवरण 17 मे दिये गये हैं।
4. **ऋण शोधन कार्य**

ऋण तथा अन्य दायित्त्वों पर ब्याज- वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्त्व तथा निवल ब्याज प्रभार जिसे राजस्व से पूरा किया गया, निम्नवत थे:-

		2020-21	2019-20	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
				(₹करोड़ में)
(i)	**वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्त्व**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,86,660.23	1,57,459.34	29,200.89
(ख)	अन्य दायित्व	40,535.28	35,922.51	4,612.77
	जोड़ (i)	**2,27,195.51**	**1,93,381.85**	**33,813.66**
(ii)	**सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर	12,481.45	10,988.09	1,493.36
(ख)	अन्य दायित्त्वों पर	2.58	3.33	(-)0.75
	जोड़ (ii)	**12,484.03**	**10,991.42**	**1,492.61**
(iii)	**घटाएं**			
(क)	सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	3.90	122.84	(-)118.94
(ख)	रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त किया गया ब्याज	174.57	938.84	(-)764.27
(ग)	जमा निधि से ब्याज प्राप्ति	2,600.00	0.00	2,600.00
	जोड़ (iii)	**2,778.47**	**1,061.68**	**1,716.79**
(iv)	**ब्याज प्रभारों की निवल राशि**	**9,705.56**	**9,929.74**	**(-)224.18**
(v)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सकल ब्याज {मद(ii)} की प्रतिशतता**	9.74	8.85	0.89
(vi)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में निवल ब्याज {मद(iv)} की प्रतिशतता**	7.57	7.99	(-)0.42

अन्य प्राप्तियाँ तथा समायोजनों में इसके अतिरिक्त ₹463-50 करोड़ 'विविध' लेखा पर ब्याज सम्मिलित थे। अगर इन्हें घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹9,242.06 करोड़ होगा जो राजस्व का 7.21 प्रतिशत आता है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹603.01 करोड़ विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त किया गया।

5. **ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन :** राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 845 दिनांक 16/12/2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 और 2021-22 के लिए निक्षेप निधि में अंशदान रखने का निर्णय लिया है।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 1: ऋण और अग्रिमों का सारांश - ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2021 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/अकादमी संस्थान	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85	0.00	63.40
आवास बोर्ड	127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	6.40
सरकारी कम्पनियाँ	6,380.16	839.49	0.00	0.00	7,219.65	839.49	5,118.51
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	1,293.88	147.15	802.00	0.00	639.03	(-)654.85	801.88
पंचायती राज संस्थायें	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	30.00
सांविधिक निगम	12,495.96	95.40	0.00	0.00	12,591.36	(-)95.40	4,677.63
सरकारी सेवक	87.65	31.93	18.43	0.00	101.15	13.50	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
अन्य	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	817.04
जोड़	**21,450.23**	**1,113.97**	**820.43**	**0.00**	**21,743.77**	**293.54**	**11,514.86**

निम्नलिखित ऋण के मामलों को ''शाश्वत ऋण'' के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	राशि	ब्याज दर
''सूचना उपलब्ध नहीं''					

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 2 : ऋण और अग्रिमों का सारांश- क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2021 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाएं	1,575.84	596.49	0.00	0.00	2,172.33	596.49	99.80
आर्थिक सेवाएं	19,785.89	485.55	802.00	0.00	19,469.44	(-)316.45	11,415.06
सरकारी कर्मचारी	87.65	31.93	18.43	0.00	101.15	13.50	0.00
विविध उदेश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
जोड़	**21,450.23**	**1,113.97**	**820.43**	**0.00**	**21,743.77**	**293.54**	**11,514.86**

भाग 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2021 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है*	31 मार्च 2021 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
आवास बोर्ड	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कम्पनियाँ	4,549.20	5,118.51	9,667.71	2001-02	6,380.16
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	60.47	801.88	862.35	2001-02	1,293.88
पंचायती राज संस्थायें	17.47	30.00	47.47	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,677.16	4,677.63	8,354.79	2001-02	12,495.96
अन्य	233.62	817.04	1,050.66	2001-02	615.00
जोड़	**8,562.21**	**11,514.86**	**20,077.07**		**21,356.95**

* वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

नोट: राज्य सरकार से मिलान अभी भी प्रतीक्षित है।

विवरण 8: सरकार के निवेशों का विवरण

2019-20 तथा 2020-21 में विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	संस्था का नाम	2020-21			2019-20		
		संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	3	105.63	0.00	3	110.63	0.00
2	ग्रामीण बैंक	1	30.19	0.00	1	30.19	0.00
3	सरकारी कम्पनियाँ	46	31,809.38	564.50	46	30,657.78	1.05
4	अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ और साझेदारी	12	305.17	0.00	12	256.68	0.00
5	सहकारी संस्था एवं स्थानीय निकाय	17	620.24	38.51	17	612.11	0.57
जोड़		**79**	**32,870.61**	**603.01**	**79**	**31,667.39**	**1.62**

विवरण 9: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सेक्टर वार विवरण और विभिन्न सेक्टर में 31 मार्च 2021 को बकाया गारंटी की रकम नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2020-21 के दौरान विलोपन (माँग को छोड़कर)	वर्ष 2020-21 के दौरान लागू		वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग्य	प्राप्त	
	1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11
1	बिजली (*)	14,690.02	141.39	3,717.26	37.36	9,111.12	2554.71	*	*	10,273.68	161.36	*	*	*
2	सहकारिता (*)	4,218.40	*	477.38	12.58	1,600.00	216.37	*	*	1,861.01	21.86	*	*	*
3	सिंचाई (*)	4.93	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	शहरी विकास तथा आवास	4.00	*	17.21	3.51	*	17.21	*	*	*	0.57	*	*	*
5	राज्य वित्तीय निगम	*	*	127.47	29.97	*	127.47	*	*	*	*	*	*	*
6	अन्य आधारभूत संरचनाएं (*)	*	*	16.06	6.56	*	16.06	*	*	*	*	*	*	*
7	कोई अन्य (*)	6,055.00	*	1,024.22	14.97	2,921.73	0.56	*	*	3,945.39	143.84	4.25	4.25	*
जोड़		**24,972.35**	**141.39**	**5,379.60**	**104.95**	**13,632.85**	**2,932.38**	**0.00**	**0.00**	**16,080.08**	**327.63**	**4.25**	**4.25**	*

नोट: राज्य सरकार द्वारा गारंटी परिहार निधि का सृजन अब तक नहीं किया गया है।

*राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) सहायता अनुदान का नकद रूप में भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0		अनुदेयी का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			कॉलम सं० (2) के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से संपत्ति के सृजन हेतु आवंटित निधि			सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि
			2020-21			2020-21			2019-20
		(1)	(2)			(3)			(4)
			स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	
1.		**पंचायती राज संस्थाएँ**	**3,518.12**	**9,381.26**	**12,899.38**	**686.90**	**9,022.02**	**9,708.92**	**9,971.64**
	(i)	जिला परिषद्	4.11	1,756.01	1,760.12	0.00	917.49	917.49	1,429.21
	(ii)	पंचायत समितियाँ	196.22	2,905.65	3,101.87	0.00	1,298.13	1,298.13	411.76
	(iii)	ग्राम पंचायत	3,317.79	4,719.60	8,037.39	686.90	6,806.40	7,493.30	8,130.67
2.		**शहरी स्थानीय निकाय**	**701.73**	**4,083.35**	**4,785.08**	**650.85**	**3,600.74**	**4,251.59**	**1,533.24**
	(i)	नगर निगम	513.88	4,041.16	4,555.04	505.79	3,565.64	4,071.43	982.27
	(ii)	नगरपालिका / नगर परिषद्	187.85	41.19	229.04	145.06	35.10	180.16	288.90
	(iii)	अन्य	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	262.07
3.		**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**31.17**	**775.89**	**807.06**	**22.95**	**765.49**	**788.44**	**937.00**
	(i)	सरकारी कंपनियाँ	0.00	757.63	757.63	0.00	757.24	757.24	429.11
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	6.53	6.53	0.00	7.75	7.75	0.00
	(iii)	सांविधिक निगम	31.17	11.73	42.90	22.95	0.50	23.45	507.89
4.		**स्वायत्त संस्थाएँ**	**307.93**	**3,991.75**	**4,299.68**	**201.99**	**4,536.69**	**4,738.68**	**34,139.66**
	(i)	विश्वविद्यालय	216.40	3,499.60	3,716.00	141.93	4,181.28	4,323.21	3,925.89
	(ii)	विकास प्राधिकरण	8.92	5.66	14.58	5.71	2.30	8.01	5,839.49
	(iii)	सहकारी संस्थाएँ	33.95	0.00	33.95	9.58	0.00	9.58	0.00
	(iv)	अन्य	48.66	486.49	535.15 [1]	44.77	353.11	397.88	24,374.28
5.		**गैर सरकारी संगठन**	**31,047.73**	**1,090.05**	**32,137.78**	**7,259.62**	**593.56**	**7,853.18**	**0.00**
	(i)	विकास प्राधिकरण	969.01	9.03	978.04	107.75	11.81	119.56	5,839.49
	(ii)	अन्य	30,078.72	1,081.02	31,159.74	7,151.87	581.75	7,733.62	0.00
		कुल जोड़	**35,606.68**	**19,322.30**	**54,928.98**	**8,822.31**	**18,518.50**	**27,340.81**	**46,581.54**

[1]मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि पर किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(ii) वस्तु रूप में दिये गये सहायता अनुदान *(₹ करोड़ में)*

क्रम सं०		अनुदेयी का नाम/श्रेणी	वस्तु के रूप में कुल सहायता अनुदान का मूल्य	वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूँजीगत परिसंपत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य	2019-20
			2020-21		
1.	**पंचायती राज संस्थाएँ**				
	(i)	जिला परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(ii)	पंचायत समितियाँ	0.00	0.00	0.00
	(iii)	ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**				
	(i)	नगर निगम	0.00	0.00	0.00
	(ii)	नगरपालिका / नगर परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(iii)	अन्य	0.00	0.00	0.00
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**				
	(i)	सरकारी कंपनियाँ	0.00	0.00	0.00
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(iii)	सांविधिक निगम	0.00	0.00	0.00
4.	**स्वायत्त संस्थाएँ**				
	(i)	विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(iii)	सहकारी संस्थाएँ	0.00	0.00	0.00
	(iv)	अन्य	0.00	0.00	0.00
5.	**गैर सरकारी संगठन**				
	(i)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(ii)	अन्य	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़			**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट: उपरोक्त आँकड़े राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है।

विवरण 11: दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	वास्तविकी					
	2020-21			2019-20		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*12,686.42*	1,26,807.03	**1,39,493.45**	*12,025.61*	1,13,991.05	**1,26,016.66**
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	*0.00*	18,208.60	**18,208.60**	*0.00*	12,303.90	**12,303.90**
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अधीन भुगतानों और आकस्मिकता निधि को अंतरण (क)	*6,880.47*	1,113.97	**7,994.44**	*7,109.83*	666.30	**7,776.13**
जोड़ :	***19,566.89***	**1,46,129.60**	**1,65,696.49**	***19,135.44***	**1,26,961.25**	**1,46,096.69**
(क) आँकड़े निम्नवत् परिगणित किए गए हैं:						
ङ. लोक ऋण						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*5,936.89*	0.00	**5,936.89**	*6,143.39*	0.00	**6,143.39**
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा उधार	*943.58*	0.00	**943.58**	*966.44*	0.00	**966.44**
च. कर्ज तथा उधार*						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	596.49	**596.49**	*0.00*	598.00	**598.00**
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	485.55	**485.55**	*0.00*	52.36	**52.36**
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	*0.00*	31.93	**31.93**	*0.00*	15.94	**15.94**
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
जोड़ : (क)	***6,880.47***	**1,113.97**	**7,994.44**	***7,109.83***	**666.30**	**7,776.13**

(i) 2019-20 तथा 2020-21 में हुए कुल व्यय से प्रभारित एवं दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत थी:-

वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2019-20	*13.10*	86.90
2020-21	*11.81*	88.19

*विस्तृत लेखा खण्ड-।। में विवरण 18 में दिए गए हैं।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
सामान्य सेवाएं	20,772.98	1,389.85	22,162.83
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	7,164.08	744.18	7,908.26
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	7,546.47	647.99	8,194.46
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	13,914.57	4,972.34	18,886.91
सूचना तथा प्रसारण	8.98	0.00	8.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	580.58	31.44	612.02
समाज कल्याण तथा पोषण	1,093.55	30.06	1,123.61
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,172.01	23.70	1,195.71
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,460.32	93.18	2,553.50
ग्रामीण विकास	47,202.13	3,565.34	50,767.47
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	32,176.40	2,213.37	34,389.77
ऊर्जा	33,101.60	1,125.96	34,227.56
उद्योग तथा खनिज	2,578.79	117.01	2,695.80
परिवहन	55,005.89	3,254.76	58,260.65
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,583.84	145.92	1,729.76
सकल पूँजीगत व्यय	**2,26,362.19**	**18,355.10**	**2,44,717.29**
घटाएं-अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)8,881.77	(-)146.50	(-)9,028.27
निवल पूँजीगत व्यय	**2,17,480.42**	**18,208.60**	**2,35,689.02**
ऋण तथा अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,094.78	596.49	1,691.27
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	467.24	0.00	467.24
समाज कल्याण तथा पोषण	13.70	0.00	13.70
अन्य	0.12	0.00	0.12

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	3,039.26	(-)654.85	2,384.41
ग्रामीण विकास	59.86	0.00	59.86
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55.61	0.00	55.61
ऊर्जा	15,622.97	243.00	15,865.97
उद्योग तथा खनिज	808.43	95.40	903.83
परिवहन	16.31	0.00	16.31
सामान्य आर्थिक सेवाएं	183.46	0.00	183.46
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	87.64	13.50	101.14
विविध कार्यो के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.85
जोड़ : ऋण तथा अग्रिम	**21,450.23**	**293.54**	**21,743.77**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)74.01	0.00	(-)74.01
जोड़ : पूँजीगत तथा अन्य व्यय	**2,38,856.64**	**18,502.14**	**2,57,358.78**
घटाएं -			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	1.10	0.00	1.10
निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	**2,38,855.54**	**18,502.14**	**2,57,357.68** (ट)
निधियों के प्रमुख स्रोत			
2020-21 के लिए राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	0.00	(-)11,325.11	0.00
जोड़ें-वापसी/विनिवेश खाते में समायोजन	0.00	0.00	0.00
ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	1,36,082.09	23,475.41	1,59,557.50
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	12,098.16	5,559.18	17,657.34
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,279.09	166.29	9,445.38
जोड़ : ऋण	**1,57,459.34**	**29,200.88**	**1,86,660.22**

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	350.00	0.00	350.00
आरक्षित निधि	549.28	351.79	901.07
जमा तथा अग्रिम	35,123.28	4,260.97	39,384.25
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखे में संवृत एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा से भिन्न राशि)	(-)11,430.08	(-)4,833.20	(-)16,263.28
प्रेषण	(-)1,916.87	798.44	(-)1,118.43
जोड़ : अन्य दायित्व	**22,675.61**	**578.00**	**23,253.61**
जोड़ : ऋण एवं अन्य दायित्व	**1,80,134.95**	**29,778.88**	**2,09,913.83**
घटाएं-रोकड़ शेष	588.07	(-)286.28	301.79
घटाएं-निवेश	17,588.74	237.91	17,826.65
जोड़- 2020-21 के दौरान सरकारी लेखे में संवृत राशि	0.00	0.00	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	**1,61,958.14**	**29,827.25**	**1,91,785.39** (ठ)

(क) 31 मार्च 2021 को निवल पूँजी तथा अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹65,572.29 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है:-

1. 31 मार्च 2020 को संचित राजस्व अधिशेष	71,092.53
2. वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष	(-)11,325.11
3. बिहार एवं पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का रोकड़ शेष अंतरण) अधिनियम, 1956 के अधीन पश्चिम बंगाल को अंतरित शेषों का निवल प्रभाव, लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन, अशुद्धियों के सुधार एवं लेखाओं के वर्गीकरण का पुनर्गठन तथा 2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 नवम्बर 2000) की अवधि तक सरकारी लेखे में संवृत शेषों के फलस्वरूप प्रोफार्मा रूप से पृथक शेष/व्यय	(-)185.80
4. झारखण्ड राज्य को अंतरित रोकड़ शेष (दिनांक 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 का लेखा)	28.73
5. झारखंड राज्य हेतु विभाजित आंतरिक ऋण	2,211.70
6. झारखंड राज्य हेतु विभाजित केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,750.24
जोड़	**65,572.29**

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

क. 31 मार्च 2021 को शेषों का सार निम्नवत है :- *(₹ करोड़ में)*

नामे शेष	सामान्य लेखे का खंड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
1,70,115.62 *	क से घ और ठ का भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ङ	लोक ऋण	1,77,214.85
21,743.77	च	ऋण तथा अग्रिम	
		अन्तर्राज्यीय परिशोधन	74.01
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	350.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,445.37
	ञ	**आरक्षित निधि**	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	901.07
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	5,740.12
		सकल शेष	**6,641.19**
5,740.12		निवेश	
	ट	**जमा तथा अग्रिम**	
		(i) ब्याज वाली जमा	274.29
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	39,359.92
249.96		(iii) अग्रिम	
	ठ	**उचन्त तथा विविध**	
17,826.65		निवेश	
16,374.28		अन्य मदें (निवल)	110.99
1,118.43	ड	**प्रेषण**	
301.79	ढ	**रोकड़ शेष** (क)	
2,33,470.62		**जोड़**	**2,33,470.62**

*इस आँकड़े को किस प्रकार परिगणित किया गया है, के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर 'ख' देखी जाय ।

(क) ''रिजर्व बैंक जमा के संबंध में, जो सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित तथा लेखा में प्रदर्शित राशि के बीच में अन्तर था। विस्तृत ब्यौरे के लिए पृष्ठ 7 पर विवरणी 2 के अनुबंध क के पाद टिप्पणी (1) का संदर्भ लिया जा सकता है ।''

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा : सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है । इस शीर्ष का शेष ऐसे हीं सभी लेन देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है।

इसमें लोक-ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लाया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखा के नामे निवल राशि निम्नानुसार परिगणित किया गया है-

नामे		विवरण	जमा
			(₹ करोड़ में)
1,40,581.91	क.	1 अप्रैल 2020 को सरकारी लेखा में डेबिट की राशि	
	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,28,168.34
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
1,39,493.45	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
18,208.60	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च.	उचन्त और विविध	
		(विविध सरकारी लेखा)	
	छ.	सरकारी लेखे में डेबिट की गई राशि	
		31 मार्च 2021 को	1,70,115.62
2,98,283.96		**जोड़**	**2,98,283.96**

(i) कई मामलों में ''प्राप्ति, संवितरण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा'' (खण्ड II के विवरण संख्या 14, 15, 17, 18 तथा 21) के प्रतिवेदित विवरण के अन्तशेष में असमाधानित अन्तर होता है तथा जिसे अलग रजिस्टर में दिखाया जाता है अथवा अन्य अभिलेख लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए संधारित किया जाता है। विसंगतियों के निराकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं अभिस्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी अभिस्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) मामले जहाँ शेषों की अभिस्वीकृति में विलम्ब किया गया है और जहाँ सम्बद्ध राशि विचाराधीन है, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 1 में अंकित किए गये हैं।

(iv) मामले जहाँ शेषों के समाधान के लिए ब्योरे/दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 2 में विस्तार से वर्णित हैं।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) आस्तित्व एवं लेखा अवधि: ये लेखे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बिहार सरकार के सव्यवहारों को दर्शाते हैं। बिहार सरकार के प्राप्तियों एवं व्यय के लेखों को 76 कोषागारों एवं अन्य लेखा प्रदाता ईकाईयों (एआरयू) द्वारा दिए गए शुरूआती लेखों के आधार पर समेकित किया गया है। बिहार सरकार ने दिनांक- 01.04.2019 के प्रभाव से लोक निर्माण विभागों एवं वन विभागों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को लेखाओं का सीधे प्रस्तुतीकरण बंद कर दिया था और उनके लेन-देन अब कोषागारों के माध्यम से होता है। वर्ष के अंत तक कोई लेखे छोड़े नही गए थें।

(ii) लेखे का आधार: लेखे, कुछ पुस्तक समायोजनों को छोड़कर (**अनुबंध-क**) लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियाँ तथा वित्तीय परिसम्पत्तियाँ जैसे कि सरकारी निवेश आदि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसम्पत्तियों के नुकसान को उनके विनष्ट होने पर खर्च या मान्यता नहीं दी गई है।

लेखा अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों पर किए गए व्यय को लेखे विवरण 15 (वित्त लेखे खण्ड ।।) में प्रतिबिम्बित किया गया है, परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों अर्थात् विगत एवं वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर होने वाले भुगतान संबंधी दायित्वों को इस लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं: बिहार सरकार के लेखे का संधारण भारतीय रुपये (₹) में किया जाता है।

(iv) लेखे का स्वरूप: संघ और राज्यों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 150 के अधीन उसी रूप में रखा जाता है जिस स्वरूप में राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में व्यवहृत शब्द "स्वरूप" का विस्तृत अर्थ होता है, इसलिए नहीं कि इसमें लेखाओं के रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है, बल्कि इसलिए भी कि यह शीर्ष चयन का आधार होता है जिसमें संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) पूँजी एवं राजस्व के बीच वर्गीकरण: राजस्व व्यय प्रकृति में आवर्ती है और इन्हें राजस्व प्राप्ति से पूरा किया जाता है। पूँजीगत परिव्यय मुख्यत: स्थायी प्रकृति के परिसंपत्तियों के निर्माण/बढ़ाने या स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य पर किए गए व्यय के रूप मे परिभाषित किया जाता है।

2. समेकित निधिः

(i) वस्तु एवं सेवा करः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य जीएसटी संग्रह, वर्ष 2019-20 में ₹15,800.53 करोड़ की तुलना में ₹249.70 करोड़ (1.58 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹16,050.23 करोड़ था। इसमें ₹1,197.51 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का अग्रिम भाग शामिल है। इसके अलावा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य को सौंपे गए शुद्ध आय के इसके हिस्से के रूप में राज्य को ₹17,788.67 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां ₹33,838.90 करोड़ थी। राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान के कारण ₹4,359.28 करोड़ मुआवजा प्राप्त हुआ।

(ii) राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरणः वर्ष 2020-21 के दौरान, बिहार सरकार ने गलत तरीके से ₹49.49 करोड़ के व्यय को यथा निर्धारित राजस्व अनुभाग के बजाय पूँजीगत अनुभाग के तहत दर्ज किया, जोकि व्यय के उद्देश्य को देखने से निर्धारित होता है। राज्य के राजस्व घाटे पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 7 के तहत दिया गया है।

(iii) सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के बीच प्राप्तियों और व्यय का समाधानः सभी नियंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार द्वारा दिए गए आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,02,515.00 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 79.98 प्रतिशत) की प्राप्तियों और ₹16,818.00 करोड़ (कुल व्यय का 10.66 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया।

(iv) लघु शीर्ष 800 **के अंतर्गत दर्ज- 'अन्य प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय':** लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय/800- अन्य प्राप्तियों को मात्र तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है क्योंकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 11 मुख्य लेखा शीर्षो के अधीन ₹132.24 करोड़ को लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹1,57,702.05 करोड़) का 0.08 प्रतिशत है। लघु

शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए एक बड़े हिस्से के उदाहरणों (50 प्रतिशत और उससे अधिक) का विवरण **अनुबंध-ख** में दर्शाया है।

इसी प्रकार, लेखे के 40 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹3,364.36 करोड़ को लेखे में 800- अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,28,168.34 करोड़) का 2.62 प्रतिशत है। लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए एक बड़े हिस्से के उदाहरणों (50 प्रतिशत एवं उससे अधिक) का विवरण **अनुबंध-ख** में दर्शाया है।

(v) नए उप-शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को बिना परामर्श के खोलना: वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) की परामर्श लिए बिना बजट में 15 नए उप शीर्ष (14 राजस्व अनुभाग के अंतर्गत, 01 पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत) खोले। राज्य सरकार के द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन सितम्बर 2021 में प्राप्त किया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान, इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान प्रदान किए और राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹1.26 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹147.15 करोड़ का व्यय इन शीर्षों में किया।

(vi) व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते में निधि का स्थानांतरण: व्यक्तिगत जमा खाते नामित आहरण अधिकारियो को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रमुख शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष-106 व्यक्तिगत जमा के तहत राज्य की संचित निधि में सेवा शीर्षों को नामें करके और व्यक्तिगत जमा में जमा करके व्यय करने हेतु सक्षम बनाते हैं। पीडी खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे खातों को बंद करना और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। यद्यपि किसी कोषागार/प्रशासक ने अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय की कमी के रूप में वापस स्थानांतरित करने की सूचना नहीं प्रदान की।

वर्ष 2020-21 के दौरान इन पीडी खातों में राज्य की संचित निधि से ₹913.48 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई और चालान के माध्यम से ₹147.51 करोड़ की राशि जमा की गई। इसमें मार्च 2021 में राज्य की संचित निधि से हस्तांतरित ₹623.87 करोड़ (कुल जमा का 58.80 प्रतिशत) शामिल है जिसमें से मार्च 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर ₹10.85 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को कोषागार में शेष राशि का आवश्यक सत्यापन एवं मिलान करना होगा और हर वर्ष 30 अप्रैल अथवा उससे पूर्व कोषागार अधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कोषागार अधिकारी उक्त प्रमाणपत्र को कोषागार अभिलेख से सत्यापित करेगा और ऐसे शेष राशि के सत्यापन की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) को भेजेगा।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) को केवल 7 पीडी खातों के वार्षिक अंत शेष प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च, 2021 तक व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2020 तक आदि शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2020-21 के दौरान बंद/निकासी		मार्च 2021 तक अंत शेष	
प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि
158[1]	3,312.94	90[2]	1,061.65	0	563.26[2]	252[3]	3,811.33[4]

नोट-

1. प्रशासक की संख्या पीडी खातों की संख्या के समान है। 158 में से दो पीडी खाते सीएफएमएस में नए दिखाई दिए और प्री सीएफएमएस डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे। प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख के अनुसार वर्ष 2017 में एक पीडी खाता बंद कर दिया गया था लेकिन सीएफएमएस में वही खाता दिखाई दिया।
2. वर्ष के दौरान पीडीए खातों की कुल निकासी। वर्ष 2020-21 में पीडी खाता बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली।
3. वर्ष के दौरान 252 पीडी खातो में से 2 पीडी खातों को सीएफएमएस में स्थानांतरित किया गया है। इस वर्ष 2 नए पीडी खाते दिखाई दिए जिनमें से एक महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख के अनुसार वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया था और एक पीडी खाता सीएफएमएस में नया दिखाई दिया लेकिन प्री सीएफएमएस डेटाबेस में उपलब्ध नहीं था। इनके अलावा, 10 पीडी खाते, जिनमें ₹1.54 करोड़ की राशि पड़ी है, को सीटीएमआईएस से सीएफएमएस में स्थानांतरित किया जाना बाकी है, जिन्हें आदि शेष एवं अंत शेष में शामिल नहीं किया गया है।
4. विवरण-21 के साथ ₹9.18 करोड़ के अंतर का मिलान किया जा रहा है।

वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या-2916, दिनांक-03.06.2020, द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड 2011 के नियम 349 को संशोधित किया और पहले के तीन वित्तीय वर्षो से खर्च नहीं किए गए धन की अवधि को बाद के पांच वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया और 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी व्यक्तिगत जमा खातों/व्यक्तिगत लेजर खातों को 01.04.2019 से सीएफएमएस प्रणाली के तहत एक डिफॉल्ट के रूप में खोला हुआ मान लिया गया। इस प्रकार, निष्क्रिय और व्यपगत पीडी खातों का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा।

(vii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र: वित्तीय नियम (बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177) में यह निदेशित है कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सेवा शीर्षों को डेबिट (नामे) करके संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम लिया गया था उसके पूरा होने की तारीख से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है और किसी भी हालत में यदि ऐसे अग्रिम के आहरण की तारीख से 180 दिनों की अवधि के उपरांत यदि नहीं जमा किया गया तो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अन्यथा अनुमति आवश्यक है। विलम्ब से जमा करने या लम्बे समय तक समर्थक डीसी विपत्रों को प्रस्तुत न करने से एसी विपत्रों के माध्यम से व्यय अपारदर्शी हो जाता है और वित्त खातों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान निकाले गए ₹4,834.28 करोड़ के 6,308 एसी विपत्रों में से मार्च 2021 में ₹429. 32 करोड़ (8.88 प्रतिशत) की राशि के 1.833 एसी विपत्रों की निकासी की गई। 31 मार्च 2021 तक ₹13,459.71 करोड़ की राशि के कुल 26,504 एसी विपत्रों के संबंध में डीसी विपत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

31 मार्च 2021 तक असमायोजित एसी विपत्रों का विवरण जिनके डीसी विपत्रों का समायोजन लंबित था, का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	14,507	4,394.37
2019-20	5,689	4,231.06
2020-21	6,308	4,834.28
कुल	**26,504**	**13,459.71**

बकाया एसी विपत्रों का प्रमुख शीर्षवार विवरण **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

(viii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना: वित्त विभाग के संकल्प सं०-M.04-15/2009-9736/F(2) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) उसकी संस्वीकृति

देनेवाले प्राधिकारी को अनुदानग्राही द्वारा अनुदान – प्राप्ति की तारीख से 18 महीनों के भीतर अथवा उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूसी न प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त लेखे में प्रदर्शित राशि लाभार्थियों तक पहुँच गई थी और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बकाया यूसी से संबंधित ₹34,409.97 करोड़ समायोजित की गई। 31 मार्च 2021 तक बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	2,633	49,853.07
2019-20	645	26,922.62
2020-21	608	15,911.62
कुल	**3,886**	**92,687.31**

* उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।

मुख्य चूककर्ता विभाग जिसने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया था उनमें पंचायती राज विभाग (₹26,922.39 करोड़, 29.05 प्रतिशत), शिक्षा विभाग (₹19,212.69 करोड़, 20.73 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (₹10,941.87 करोड़, 11.81 प्रतिशत), नगर विकास एवं आवास विभाग (₹10,022.99 करोड़, 10.81 प्रतिशत), ग्रामीण विकास विभाग (₹4,635.73 करोड़, 5.00 प्रतिशत) हैं। सबसे ज्यादा लंबित मामलों वाले विभागों को **अनुबंध-घ** में दिखाया गया है।

(ix) सेवानिवृत्ति लाभ पर देनदारियाँ: वर्ष के दौरान (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय को छोड़कर) 31 अगस्त 2005 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ''पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों'' पर व्यय **₹**18,535.39 करोड़ था।

(x) ब्याज समायोजन: सरकार ञ-आरक्षित निधि (क. ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ), ट-जमा तथा अग्रिम (क. ब्याज सहित जमा) और झ- लघु बचत, भविष्य निधि आदि के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज के भुगतान/समायोजन करने हेतु उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट उप-मुख्य शीर्षों/लघु शीर्षों को मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में स्थान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निधियो/जमा और अग्रिमों पर पूरी तरह से आवश्यकतानुसार ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया है। ब्याज के रूप में ₹795.68 करोड़ की अपेक्षित राशि में से सरकार ने 463.50 करोड़ का भुगतान किया। ₹332.18 करोड़ (₹795.68 करोड़ घटाव ₹463.50 करोड़) के ब्याज के कम भुगतान के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है जो पैरा-7 में वर्णित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	ब्याज की गणना का आधार	बकाया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	390.97	वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य भविष्य निधि पर देय 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना	27.76	शून्य
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	522.95	वर्ष 2020-21 के दौरान उधार लागत के अनुमान को ध्यान में रखते हुए ब्याज की गणना 3.4 प्रतिशत की दर से की गई।	17.78	शून्य
सामान्य भविष्य निधि	10,322.15	वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य भविष्य निधि पर देय 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	732.87	450.00
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	243.30	वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य भविष्य निधि पर देय 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	17.27	13.50
कुल			**795.68**	**463.50**

₹332.18 (₹795.68 घटाव ₹463.58) करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर ब्याज का भुगतान न करने के प्रभाव को पैरा-7 में दिया गया है।

(xi) **निवेश:** वित्त लेखे के विवरण 8 और 19 में प्रदर्शित सरकारी निवेशों पर जानकारी लेखाओं और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा प्राप्त संस्वीकृतियों पर आधारित है लेकिन संबंधित विभागों (वित्त सहित) और निवेशित संस्थाओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने वर्ष 2020-21 में ₹1,203.22 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2021 को ₹32,870.61 करोड़ के सरकारी निवेश से 2020-21 के दौरान ₹603.01 करोड़ (1.83 प्रतिशत) का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2021 तक सरकारी निवेश का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	संस्थाओं की संख्या	वर्ष 2020-21 के अंत में निवेश
सांविधिक निगम	3	105.63
ग्रामीण बैंक	1	30.19
सरकारी कंपनियां	46	31,809.38
अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनिया और साझेदारी	12	305.17
सहकारी संस्थाएं और स्थानीय निकाय	17	620.24
कुल	**79**	**32,870.61**

(xii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए अनुदान/ऋण जहां लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है: वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार सरकार ने 01 सांविधिक निकाय और 22 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण जारी किए तथा 1 सांविधिक निकाय और 9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अनुदान दिया। वर्ष 1978-79 से 32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं 1 सांविधिक निकाय के संबंध में लेखाओं को वर्ष 2020-21 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विवरण **अनुबंध-ङ** में दिया गया है।

(xiii) सरकार द्वारा दी गई गारंटियां: राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार गारंटी अधिनियम न तो अपनाया न ही गारंटी मोचन कोष बनाया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹13,632.85 करोड़ की गारंटी जारी की। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹4.25 करोड़ प्राप्त हुए जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान गारंटीकृत राशि का 0.03 प्रतिशत था। विवरण वित्त लेखा खंड-। के विवरण-9 में दिया गया है।

(xiv) पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण पर व्यय: राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय चिंताओं को प्रमुख रूप से रेखांकित करना है। ''पर्यावरण'', ''अपशिष्ट प्रबंधन'', ''प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण'', ''पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा'', ''पर्यावरण संरक्षण'' आदि से संबंधित विवरण बजट एवं व्यय के आँकड़ों से संग्रहित किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक के वित्त लेखे में दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, बिहार सरकार ने मुख्य शीर्ष 2215, 2217, 2406, 2810, 2852, 3435, 4202 एवं 4711 के अंतर्गत ₹9,149.28 करोड़ के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹4,232.05 करोड़ (46.26 प्रतिशत) का व्यय किया। जो कि कुल राजस्व व्यय (₹1,39,493.45 करोड़) का 3.03 प्रतिशत था। व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण बजट के सापेक्ष **अनुबंध-च** में दिया गया है।

(xv) डीडीओ के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशिः

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें वर्तमान में डीडीओ के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(xvi) पाँच वर्ष एवं उससे अधिक की अधूरी योजनाएं: राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 25 अधूरी परियोजनाएं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत 2, भवन निर्माण विभाग के तहत 2, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के तहत 16, सड़क निर्माण विभाग के तहत 16 और ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 2 अधूरी परियोजनाएं है जो पाँच वर्ष या उससे अधिक पुराना है। संशोधित लागत सहित अधूरी परियोजनाओं एवं लागत में वृद्धि का विवरण **अनुबंध-ज** में दिया गया है।

(xvii) विविध कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का स्थानांतरणः राज्य सरकार केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान के रूप में राज्य/जिला स्तरीय अभिकरणों/स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरणों, सोसाईटियों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को निधि प्रदान करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹35,606.68 करोड़ की राशि सरकारी योजनओं/निर्माण कार्यों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को दी गई थी। सरकारी खातों (बैंक खातों में) से बाहर रखे गए कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों में अव्ययित शेष की कुल राशि का विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है। अतएव लेखों में दर्शाय गये सरकार के व्यय उस सीमा तक पूर्ण नहीं है।

(xviii) केंद्रीय ऋणों का अपलेखनः तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 फरवरी 2012 को दिनांकित सभी आदेशों की एक श्रृंखला में केंद्रीय योजना एवं केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के प्रति 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के बकाये को अपलेखित कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय नें राज्य सरकारों को आदेश लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से मूलधन और ब्याज के अधिक भुगतान को समायोजन की स्वीकृति दी है तथा भविष्य में वित्त मंत्रालय के पुनर्भुगतान को लागू किया। बिहार सरकार ने 31 मार्च 2010 के अंत तक ₹11.52 करोड़ (मूलधन ₹5.30 करोड़ एवं ब्याज ₹6.22 करोड़) का अधिक भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹7.06 करोड़ का समायोजन किया है।

(xix) वचनबद्ध देयताएँ: बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के एक्रूअल बेसिस की ओर आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्रवाई की शुरूआत की गई है। हालांकि, चूँकि चरणों में परिवर्तन होगा, लेखांकन की प्रोद्भवन आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी देनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसे **परिशिष्ट-XII** में दर्शाया गया है।

(xx) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) थोक अनुदान को छोड़कर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का नवीनीकरण: योजना/गैर योजना के विलय के परिणामस्वरूप जारी की गई केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/शेयर के प्रति महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल में दर्शाए गए ₹22,346.15 करोड़ में से ₹16,609.56 करोड़ (केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण को छोड़कर) के आरबीआई, सीएएस, नागपुर से निकासी मेमो और संबंधित मंत्रालयों से समर्थित संस्वीकृति आदेश प्राप्त हुए थे। केंद्र सरकार की ओर से मुख्य शीर्ष 1601 सहायता अनुदान के तहत राज्य सरकार के लेखे में इसे समुचित रूप से दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज किया गया कुल व्यय ₹34,615 करोड़ (राजस्व व्यय ₹31,794.59 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹2,820.48 करोड़) है जिसमें इस वर्ष और विगत वर्ष के दौरान केंद्रीय सहायता में से व्यय और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त राज्य अंशदान शामिल है।

(xxi) राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केंद्रीय योजना निधि का सीधे स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर परिचालित निधि):

(i) सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ₹16,440.70 करोड़ सीधे प्राप्त हुए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित कुल राशि ₹31,797.45 करोड़ (आरबीआई और अन्य स्रोतों के माध्यम से हस्तांतरित राशि सहित) थी।

(ii) ₹16,440.70 करोड़ की कुल राशि में से ₹16,438.95 करोड़ केंद्रीय सहायता/शेयर होने के कारण यह राशि मध्यस्थों (अर्थात गैर-सरकारी संगठनों, सोसाईटियों आदि) को और ₹1.75 करोड़ सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए।

कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण वर्ष 2019-20 (2019-20 में ₹10,170.12 करोड़ से 2020-21 में ₹16,440.70 करोड़) की तुलना में 61.66 प्रतिशत बढ़ गया है। विवरण वित्त लेखा **खंड-II के परिशिष्ट-VI** में है।

(xxii) उचंत खातों के तहत लेन-देन की प्रविष्टि: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) ने ₹4,548. 13 करोड़ (राजस्व व्यय ₹1,356.46 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय ₹3,191.67 करोड़) की राशि के 14,424 वाउचरों पर आपत्ति जताई है। इन वाउचरों को संस्वीकृति आदेशों/पेंशन भुगतान दस्तावेजों/चालू बिलों/उप-वाउचरों आदि के अभाव में उचंत खातों में रखा गया है। राज्य सरकार की संचित निधि के तहत वास्तविक व्यय को ₹4,548.13 करोड़ (राजस्व व्यय को ₹1,356.46 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय को ₹3,191.67 करोड़) कम बताया गया है। उचंत खातों (₹4,548.13 करोड़) के अंतर्गत रखी गई राशि का राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पैरा-7 में दिया गया हैं।

(xxiii) पेंशन दायित्व एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रभाजन: बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुभाग 53 के आठवीं अनुसूची के अनुसार, 15 नवम्बर 2000 (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से 31 मार्च 2001 एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बाँटा जाएगा। सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में बिहार और झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिवों की दिनांक 18 जून 2018 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात अर्थात् 645.30:218.44 में बाँटा जाएगा।

बिहार सरकार 31 मार्च 2018 तक कुल प्राप्त होने वाली राशि ₹1,804.47 करोड़ में से 31 मार्च 2017 तक प्राप्त होने वाली राशि ₹1,507.74 करोड़ तथा ₹296.73 करोड़ का दावा वर्ष 2017-18 के लिए झारखण्ड सरकार पर 12 मार्च 2019 को किया गया सम्मिलित है में से ₹1,493.95 करोड़ झारखण्ड सरकार से प्राप्त कर चुकी है। बिहार सरकार ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु पेंशन दायित्वों के लिए कोई दावा नहीं किया क्योंकि व्यय के अंतिम आँकड़े दोनों राज्यों में अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए शीर्ष ''0071'' के अंतर्गत आँकड़े इस हद तक न्यूनदर्शित हैं।

(xxiv) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का आवंटन: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 उन विधियों को उपास्थापित करता है जिनके तहत पूँजीगत अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग III लोक लेखा के अंतर्गत शेषों (रिजर्व बैंक में जमा के अलावे) को राज्यों के बँटवारे

की तिथि 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से बाँटा जाना था। उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बाँटी जाने वाली राशियों की विवरणी वित्त लेखे खंड-II के **परिशिष्ट-XIII** में दी गई है। झारखण्ड सरकार को सुझाए गए विभाजन के कुछ मदों पर आपत्ति थी जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार कार्यालय द्वारा जाँचापरांत सही पाया गया। इसे बिहार सरकार को सहमति/अनुमोदन के लिए 13 दिसम्बर 2018 को भेज दिया गया। राज्य सरकार की सहमति प्रतिक्षित है।

3. आकस्मिकता निधि: बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बिहार राज्य के आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित अथवा उससे अनुषंगी मामलों को विनियमित करने, उसमें धनराशि के भुगतान करने एवं उससे धनराशि की निकासी करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली, 1953 बनाया। बिहार आकस्मिकता निधि का जमा ₹350.00 करोड़ है। हालांकि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के अधीन राज्य सरकार में कोष को अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹350. 00 करोड़ से ₹8470.45 करोड़ (₹350.00 करोड़ + ₹8,120.45 करोड़) 1 अप्रैल 2020 से 30 मार्च 2021 तक कर दिया तथा ₹8,120.45 करोड़ मुख्य शीर्ष 8000 में जमा किया। 30 मार्च 2021 के बाद इस राशि को मुख्य शीर्ष 8000 से नामे किया गया तथा इस प्रकार राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि में 31 मार्च 2021 को ₹350.00 करोड़ जमा रह गया।

निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान संबंधित मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। बिहार सरकार इस निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हो कर शुरू में ही सीधे संबंधित सेवा के प्रमुख शीर्षों में व्यय दर्ज किया। राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹5,825.42 करोड़ स्वीकृत किए तथा इसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक बजट द्वारा की।

तदनुसार, चूँकि उस स्थिति में इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बजट उपलब्ध नहीं होता है, इन शीर्षों के विरूद्ध बजट से अधिकाई व्यय हो जाता है जिसे मात्र प्रतिपूर्ति के समय ही नियमित किया जाता है। इसके अलावे, चूँकि लेखांकन मुख्य शीर्ष 8000 के माध्यम से परिचालित नहीं किया जाता है, जैसा अपेक्षित है, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) आकस्मिकता निधि के अग्रिमों तथा प्रतिपूर्ति को संबद्ध नहीं कर पाता है।

4. सार्वजनिक खाताः

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीः 1 सितम्बर 2005 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है और राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 14 प्रतिशत योगदान दिया जाता है; तथा पूरी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल योगदान ₹1,901.76 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹802.00 करोड़ एवं सरकारी अंशदान ₹1,099.76 करोड़) था। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रमुख शीर्ष 8342-117 के अधीन सार्वजनिक खाते में ₹1,901.76 करोड़ की समग्र राशि हस्तांतरित की। वर्ष 2020-21 के दौरान एनपीएस में सरकार का योगदान ₹23.06 (सरकार का अपेक्षित योगदान ₹1,122.80 करोड़ घटाव ₹1,099.76 करोड़) कम था जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को इस सीमा तक कम बताया गया। इसका प्रभाव पैरा-7 में प्रदर्शित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को ₹1,976.81 करोड़ हस्तांतरित किए गए। 31 मार्च, 2021 तक ₹338.96 करोड़ की शेष राशि (पूर्व शेष ₹315.92 करोड़ जोड़ ₹23.04 करोड़) अभी भी एनएसडीएल को हस्तांतरित की जानी है। उपचित ब्याज सहित असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित राशि इस योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों को दर्शाता है।

(ii) आरक्षित निधियाँः आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ है। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत तक कुल संचित शेष राशि ₹901.07 करोड़ थी जोकि ब्याज सहित आरक्षित निधि के अंतर्गत है।

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधिः

(अ) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ): राज्य आपदा मोचन निधि (मुख्य शीर्ष '8121 सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां' के अंतर्गत जो कि ब्याज सहित अनुभाग के अधीन है) के गठन एवं प्रबंधन पर दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹1,416.00 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का राज्यांश शेयर ₹472.00 करोड़ था। राज्य सरकार ने ₹2,441.17 करोड़ (केद्रांश ₹1,416.00 करोड़, राज्यांश

₹472.00 करोड़) हस्तांतरित किए। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार को एनडीआरएफ में ₹553.17 करोड़ प्राप्त हुए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत निधि में इस राशि को हस्तांतरित किया। मार्च, 2021 के दौरान राज्य ने एनडीआरएफ में केंद्र सरकार से ₹1,255.27 करोड़ प्राप्त किए।

निधि में अंशदान, व्यय और उसमें शेष राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आदि शेष (01 अप्रैल 2020)	केंद्रांश	राज्यांश	एनडीआरएफ के तहत प्राप्त राशि	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त राशि	आरंभिक राशि (मुख्यशीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि	वर्ष के दौरान आरबीआई/राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश
0.01	1,416.00	472.00	553.17[1]	2,441.18	2,063.18	378.00	शून्य

[1] राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 में ₹553.17 करोड़ प्राप्त हुए थे और वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसने ₹553.17 करोड़ की राशि का बजट एनडीआरएफ के लिए मुहैया किया। राज्य को मार्च 2020-21 में एनडीआरएफ में केंद्र सरकार से ₹1,225.27 करोड़ प्राप्त हुए थे और इस प्राप्ति के लिए उसने कोई प्रावधान नहीं किया था।

प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए कुल ₹2,063.18 करोड़ के कुल व्यय को ₹2,441.18 करोड़, के निधि शेष राशि में से निर्धारित (मुख्यशीर्ष-2245-05) के अंतर्गत किया गया था। 31 मार्च 2021 के अंत तक इस निधि के तहत पड़ी हुई शेष राशि ₹378.00 करोड़ थी।

(ब) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-1/2009- एफसी दिनांक- 28 अप्रैल 2009 और 2 जुलाई, 2009 के दिशा-निर्देशों के माध्यम से राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करनी होती है जो उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि का वितरण करेगी और प्रतिपूरक, वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्थान, संक्षरण और वनों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव रक्षण और संरक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एकत्र की गई धनराशि का उपयोग करेगी।

उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारो को प्राप्त धनराशि को मुख्यशीर्ष-8336- सिविल जमाओं के लघुशीर्ष स्तर पर राज्य के लोक खाते में ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3(4) के अनुसार, 90 प्रतिशत निधि को राज्य के लोक खाते के मुख्यशीर्ष-8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है और शेष 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाएगा बशर्ते कि, राशि के 10

प्रतिशत केंद्रीय हिस्से को मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके।

'8336-सिविल जमा' के तहत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' और 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के तहत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि' में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज की लागू दर केंद्र सरकार द्वारा घोषित वर्ष-दर-वर्ष तय की गई दर के अनुसार होगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹0.12 करोड़ प्राप्त हुए और इसे प्रमुख शीर्ष 8121-129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत रखा गया है। वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 अनुसार राष्ट्रीय कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। 31 मार्च 2021 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹523.07 करोड़ थी।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) समेकित निक्षेप निधि: बिहार सरकार ने वर्ष 2008-09 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण+लोक लेखे) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत पिछले वर्ष के अंत तक समेकित निक्षेप निधि में अंशदान कर सकते हैं। वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या-WM-112/2016-845 दिनांक-16.12.2020 के द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं करने का निर्णय लिया। ₹5,740.12 करोड़ के आदि शेष का भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश किया गया था। इस निधि का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 तक प्रारंभिक शेष	कोष में वृद्धि (अंशदान और ब्याज)		निधि में से भुगतान	निधि में कुल शेष राशि	वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निवेशित राशि	31 मार्च 2021 तक अंत शेष
	अपेक्षित अंशदान (31 मार्च 2020 तक बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत)	वर्ष के दौरान जोड़ा गया ब्याज				
5,740.12	966.91	256.11	शून्य	5,996.23	शून्य	5,996.23

(ख) गारंटी मोचन निधि: 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकारों से एक गारंटी मोचन निधि का गठन अपेक्षित है जिसका उपयोग सरकार द्वारा जारी किए गए गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के भुगतान के निर्वहन हेतु किया जाए। निधि राज्य सरकार के लेखा से अलग परिचालित होता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित होता

है। दिशा निर्देशों के तहत, राज्य सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाए गारंटी का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना आवश्यक होता है।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक 12वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित गारंटी मोचन निधि का गठन नहीं किया है। 31 मार्च, 2021 तक बकाया गारंटी ₹16,407.71 करोड़ (मूलधन ₹16,080.08 करोड़ एवं ब्याज ₹327.63 करोड़) थी।

(ग) निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ: 31 मार्च 2021 तक कोई निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ नहीं थी।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष: वित्त लेखे उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अधीन निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया 'नामे' तथा 'जमा' शेषों को पृथक रूप से परिकलित कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों हेतु मुख्य उचंत शीर्षों के तहत सकल आकड़ों को स्थिति को **अनुबंध-छ** में दिया गया है।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशियों की गैर निकासी राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल अग्रेनीत किए जाते हैं) के तहत प्राप्ति/व्यय के आकड़ों और शेष राशियों की शुद्धता को प्रभावित करते हैं।

(iv) मुख्यशीर्ष 8670 चेक एवं बिल: एमएच 8670 चेक एवं बिल के अंतर्गत जमा शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए। 1 अप्रैल 2020 तक आदि शेष ₹63.85 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1,43,485.62 करोड़ के ई-मैंडेट जारी किए गए थे जिसमे से ₹1,43,438.48 करोड़ सफल रहा तथा 31 मार्च 2021 तक ₹110.99 करोड़ (जमा) अंत शेष राशि बची। अंत शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विविध क्रियात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से बुक किए गए व्यय को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक बिहार सत्कार को कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

(v) केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ): भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को सीआरएफ के तहत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरूआत में प्रमुख शीर्ष ''1601- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान'' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तद्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष ''8449- अन्य जमा-103- केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के तहत मुख्य शीर्ष ''3054 सड़क एवं पुल'' के तहत राजस्व व्यय के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदानों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखाओं में राजस्व अधिशेष या राजस्व घाटे को कम नहीं बताया गया। सीआरएफ के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर होने वाले व्यय को पहले संबंधित पूँजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग के (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के अंतर्गत लेखांकित

किया जाएगा और संबंधित मुख्य शीर्ष (यथा स्थिति 5054 या 3054) को कटौती व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 8449 के अधीन लोक लेखे में से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को सीआरएफ के लिए ₹425.93 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और ₹425.93 करोड़ की समग्र राशि व्यय शीर्ष 3054 के माध्यम से जमा शीर्ष 8449 में हस्तांतरित कर दी गई। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 में सीआरएफ के लिए ₹223.16 करोड़ प्राप्त किए थे और उक्त राशि को व्यय शीर्ष 3054 के माध्यम से वर्ष 2020-21 के दौरान जमा शीर्ष 8449 में स्थानांतरित कर दिया था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054 सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय के तहत वर्ष के दौरान निधि से ₹649.09 करोड़ का व्यय किया। 31 मार्च 2021 तक निधि में शेष राशि ₹84.26 करोड़ थी।

(vi) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण उपकरः भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर वसूलने एवं संग्रह करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) लागू किया। इस अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के गठन एवं इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार करने को अधिनियमित किया। तद्नुसार, बिहार सरकार ने इस अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 बनाया है और बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया है। श्रमिक उपकर जमा के रूप में सरकार द्वारा जमा की गई राशि के परिचालन एवं रखरखाव के लिए बोर्ड उत्तरदायी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष-8443-108 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹116.97 करोड़ एकत्र किए और ₹31.44 करोड़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2021 तक मुख्य शीर्ष-8443-108 के तहत अहस्तांतरित राशि ₹85.53 करोड़ थी।

(vii) अन्य उपकरः वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 0041-00-102-0002 के तहत सड़क सुरक्षा उपकर के रूप में ₹115.04 करोड़ एकत्र किए।

(viii) प्रतिकूल शेषः वर्ष के दौरान लेखाओं में मौजूद ऋणात्मक शेष राशियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्रमुख शीर्ष	प्रमुख शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष राशि
8011	जीवन बीमा एवं पेंशन निधि	(-)483.91
8336	सिविल जमा	(-)0.55

इन शीर्षों के अंतर्गत ऋणात्मक शेष राशियों का कारण गलत वर्गीकरण था वे समीक्षा/संशोधन के अधीन है।

(ix) रोकड़ शेष: प्रधान महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2021 तक रोकड़ शेष ₹301.79 करोड़ (नामे) और आरबीआई की सूचना के अनुसार ₹9.37 करोड़ (नामे) थी। कुल ₹311.16 करोड़ (नामे) का अन्तर मुख्य रूप से आरबीआई से प्राप्ति का समायोजन न करने और कोषागारों से संशोधित लेखाओं की प्राप्ति न करने के कारण था। अंतर का मिलान किया जा रहा है।

विगत वर्षों हेतु रोकड़ शेष में अंतर का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रोकड़ शेष
2016-17 के पूर्व	37.11 (नामे)
2016-17	2.61 (जमा)
2017-18	2.46 (नामे)
2018-19	0.0026 (जमा)
2019-20	742.68 (नामे)
2020-21	468.48(जमा)
कुल	**311.16 (नामे)**

5. भारतीय लेखा मानकों (आईजीएएस) के अनुपालन में प्रकटीकरण:

(क) आईजीएएस-1 सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: आइजीएएस-1 के लिए आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्रवार एवं वर्गवार प्रकटीकरण को वित्त लेखाओं में शामिल किया जाए। विवरण 9 और 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा गारंटीकृत राशि पर ब्याज के विवरण को दर्शाते हैं। लेखे पर टिप्पणियों में क्षेत्रवार एवं वर्गवार विवरण को दर्शाया गया है।

आईजीएएस-1 के अनुसार विवरण 9 एवं 20 में प्रतिवेदित गारंटियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है।

(ख) आईजीएएस-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण: आईजीएएस-2 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह, पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में आवश्यकताओं को विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है जो आईजीएएस-2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) आईजीएएस-3 सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिमः आईजीएएस को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण 7 और 18 को आईजीएएस 3 के तहत प्रकटीकरण को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखाओं के इन विवरणों में प्रतिवेदित ऋण और अग्रिमों का विवरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी गई लेखाओं के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2021 तक विवरण 7 और 18 में वर्णित अंत शेषों का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कुछ ऐसे ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके लिए वे विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विवरण 7 और 18 में उल्लिखित राशि का मिलान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

शेष राशियों के मिलान हेतु विभागीय/कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्तलेखे-खंड-II के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

6. एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरणः

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफआरबीएम) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरणः बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफआरबीएम) अधिनियम, 2006 की धारा 9 के संदर्भ में, बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति और रणनीति विवरण प्रस्तुत किया। अधिनियम में उल्लिखित लक्ष्य और लेखाओं में यथा वर्णित वर्ष 2020-21 में उपलब्धियां इस प्रकार है:

क्र.सं.	लक्ष्य	लेखाओं और जीएसडीपी के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ
1	वर्ष 2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना और उसके बाद आधिक्य को बनाए रखना	वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का राजस्व घाटा ₹11,325.11 करोड़ (जीएसडीपी का 1.83 प्रतिशत) है।
2	जीएसडीपी की वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 2.97 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या-674 दिनांक-20.09.2021 द्वारा सूचित किया कि वित्तीय घाटे की सीमा वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 5.00 प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹29,827.25 करोड़ है जो कि जीएसडीपी का 4.82 प्रतिशत है।

	तक बढ़ा दी गई है।	
3	जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में व्यक्त बकाया ऋण वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी के 23.90 प्रतिशत से कम होगा (राज्य सरकार ने अपने समसंख्यक पत्र दिनांक-20.09.2021 द्वारा सूचित किया कि बकाया ऋण की सीमा को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से बढ़ाकर जीएसडीपी का 41.20 प्रतिशत कर दिया गया है।	वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और बकाया देनदारियां (₹2,27,195.49 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमान का 36.73 प्रतिशत थी।
4.	प्राथमिक घाटा	प्राथमिक घाटा ₹17,343.23 करोड़ है।

₹29,827.26 करोड़ के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (i) आंतरिक ऋण (बाजार से उधार, वित्तीय संस्थान से ऋण आदि) ₹23,475.41 करोड़ (ii) केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹5,559.19 करोड़ (iii) लघु बचत, भविष्य निधि आदि **₹**166.29 करोड़ (iv) जमा और अग्रिम ₹4,260.97 करोड़ (v) निक्षेप निधियां और आरक्षित निधियां ₹351.80 करोड़ (vi) उचंत और विविध ₹ (-) 4,833.20 करोड़ (vii) प्रेषण ₹798.44 करोड़ (viii) नकद शेष ₹ (-) 286.28 करोड़ के द्वारा किया गया था। सरकार के कुल ऋण और अन्य दायित्वों को ₹237.91 करोड़ के नकद शेष निवेश से कम किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए सांख्यकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से उपलब्ध बिहार की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) ₹6,18,628.00 करोड़ है। बकाया ऋण में सभी ऋण और देनदारियां शामिल है।

लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति को एफआरबीएम अधिनियम एवं नियमावली द्वारा यथा निर्धारित वर्ष 2020-21 के लिए बजट के प्रस्तुतीकरण के समय विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा प्रकट किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में,

(i) निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के अनुपालन को प्रभावित करने वाली अथवा प्रभावित कर सकने वाली लेखांकन मानकों, नीतियों तथा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है; और

(ii) प्रमुख निर्माण कार्यों एवं संविदाओं, बचनबद्ध देयताओं के संबंध में, निर्माण कार्यों एवं आपूर्तियों पर भुगतान न किए बिलों के संबंध में दावों, संपत्तियों के विवरण एवं सरकारी देनदारियों पर भारित औसत ब्याज दरों के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभावः

पूर्व के पैराओं में उल्लिखित बिहार सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

पैरा संख्या	मद (उदाहरण)	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिदर्शित (₹ करोड़ में)	न्यूनदर्शित (₹ करोड़ में)	अतिदर्शित (₹ करोड़ में)	न्यूनदर्शित (₹ करोड़ में)
2(ii)	राजस्व एवं पूँजी के बीच गलत वर्गीकरण	…	49.49	…	…
2 (x)	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज की गैर-अदायगी	…	27.76	…	27.76
2 (x)	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमाओं पर ब्याज की गैर अदायगी	…	17.78	…	17.78
2 (x)	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का कम समायोजन	…	286.64	…	286.64
2 (xxiii)	उचंत खाते के तहत रखी गई राशि	…	1,356.46	…	4,518.13
4(i)	एनपीएस में नियोक्ता का अल्प अंशदान	…	23.04	…	23.04
कुल (निवल) प्रभाव		**न्यूनदर्शित 1,761.19**		**न्यूनदर्शित 4,903.35**	

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(क) आवर्ती समायोजन *(₹ करोड़ में)*

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	को		
1	राज्य आपदा रिस्पौंस निधि का समायोजन (एसडीआरएफ)	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2,441.17	बिहार राज्य आपदा रिस्पौंस निधि को अंशदान
		2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	(-)2,063.18	मुख्य शीर्ष 2245 से प्रारंभ में किये गये व्यय को मुख्य शीर्ष 8121 एसडीआरएफ से प्रतिपूर्ति कर दिया गया है।
2	क्केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से आर्थिक सहायता	3054-सड़के और पुल	8449-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	649.09	
		5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	8449-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	(-)649.09	
3	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन (राज्य)	2049-ब्याज भुगतान	8009-राज्य भविष्य निधि	450.00	सामान्य भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
		2049-ब्याज भुगतान	8009-राज्य भविष्य निधि	13.50	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
4	समूह बीमा पर ब्याज का समायोजन (राज्य)	2049-ब्याज भुगतान	8011-बीमा तथा पेंशन निधि	430.00	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
5	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8222-निक्षेप निधि	0.00	निक्षेप निधि वार्षिक अंशदान
जोड़				**1,271.49**	

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
1	जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का निर्वाचन	2015-निर्वाचन	8443-सिविल जमा	197.73
2	चुनाव में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों पर व्यय	2015-निर्वाचन	8443-सिविल जमा	1.35
3	राज्य विधान सभा चुनाव	2015-निर्वाचन	8443-सिविल जमा	10.43
4	सड़क सुरक्षा के उप अनुदानों से उपकर	2041-मोटर पर कर	8443-सिविल जमा	1.08
5	जिला प्रभार	2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.09
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	2055-पुलिस	8448-स्थानीय निधियों की जमा	40.00
7	विद्युत कार्य	2055-पुलिस	8443-सिविल जमा	2.66
8	रखरखाव तथा मरम्म्त	2055-पुलिस	8443-सिविल जमा	11.15
9	मुख्यमंत्री बालक साईकल योजना	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	221.77
10	मुख्यमंत्री बालिका साईकल योजना	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	46.80
11	मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट छात्रवृत्ति	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	26.11
12	मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	93.75
13	मुख्यमंत्री पोषाक योजना	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	58.85
14	मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	41.67
15	राज्य विश्वविद्यालय का विकास	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	69.67
16	एल.एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.75
17	मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.87
18	अन्य विद्यालय	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	61.84
19	सर्व शिक्षा अभियान	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1158.56
20	प्राथमिक विद्यालयों में वजीफा	2202-सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	173.23

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
21	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.61
22	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.90
23	बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल, पावापुरी की स्थापना	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.50
24	इंदिरा गांधी हृदय संस्थान, पटना	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.15
25	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	381.84
26	जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मधेपुरा	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.51
27	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.90
28	एनएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	556.92
29	नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7.00
30	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1768.95
31	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	39.45
32	अन्य औषधालय स्थानीय औषधालय	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.20
33	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	30.11
34	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	68.80
35	सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	316.53
36	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.40

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
37	राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.10
38	एनएचएम के केन्द्रीय भाग मद में प्राप्त कम राशि का राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	39.99
39	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	8443-सिविल जमा	39.65
40	शहरी के लिए सीवरेज और ड्रेनेज के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.90
41	सीवरेज और ड्रेनेज के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.49
42	संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.00
43	पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.99
44	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, पटना	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6.44
45	महादलितों का विकास	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	305.00
46	थरूहाट क्षेत्र का विकास	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.00
47	शिक्षा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	266.46
48	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.00

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
49	मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	59.84
50	मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.00
51	प्रवेश पूर्व छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	56.99
52	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	32.38
53	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.05
54	छात्रवृत्ति / वजीफा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	302.88
55	छात्रवृत्ति / वजीफा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.51
56	विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों का विकास	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.30
57	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	25.00
58	बिहार कौशल विकास मिशन	2230-श्रम, नियोजन और कौशल विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	69.18
59	बिहार कौशल विकास मिशन	2230-श्रम, नियोजन और कौशल विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	116.95
60	किशोर न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.47

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii)का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
61	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	40.24
62	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	136.09
63	कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसल के लिए)	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,649.41
64	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम की मरम्मत और बहाली	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.42
65	क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8443-सिविल जमा	32.01
66	वक्फ संपत्ति के विकास के लिए वक्फ बोर्ड को परिक्रामी निधि के रूप में अनुदान	2250- अन्य सामाजिक सेवायें	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.62
67	कृषि नवाचार प्रोत्साहन	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	34.55
68	बाढ़ सूखे के लिए आपातकालीन योजना	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	19.92
69	गुणवत्तायुक्त बीज फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	70.78
70	बागवानी विकास योजना	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	95.25
71	गहन क्षेत्र विकास और प्रशिक्षण सहायता-नई योजना	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	37.22
72	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	116.47
73	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.26
74	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	29.52

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii)का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
75	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.78
76	बीज उत्पादन कार्यक्रम	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.48
77	जैविक खेती का उत्थान	2401-फसल कृषि-कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.22
78	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.55
79	भूमि संरक्षण कार्य	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.50
80	निदेशन तथा प्रशासन	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	8443-सिविल जमा	99.88
81	बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
82	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रखंड पंचायतों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	83.75
83	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	216.31
84	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निश्चित भत्ते	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.72
85	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	75.39
86	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ते	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.20
87	वाल्मी को सहायता	2700-मुख्य सिंचाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.73
88	अन्य रखरखाव व्यय	2700-मुख्य सिंचाई	8443-सिविल जमा	3.93
89	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2705-कमान क्षेत्र विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	27.26
90	अन्य रखरखाव व्यय	2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	8443-सिविल जमा	6.78

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii)का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	से	
91	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड पोस्ट सर्विस बेनिफिट (टर्मिनल बेनिफिट)	2801-ऊर्जा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	257.63
92	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सहायता अनुदान	2810-नई और नवीकरणीय ऊर्जा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9.03
93	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	2810-नई और नवीकरणीय ऊर्जा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.50
94	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.50
95	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.60
96	उद्योग मित्र	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.53
97	व्यवसायों, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, विकास और रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष	2852-उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	13.74
98	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2852-उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.96
99	उद्यमी विकास योजना की स्थापना	2852-उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6.29
100	बिहार औद्योगिक विकास मिशन के अंतर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन हेतु बैठकें आयोजित करना	2852-उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.32
101	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना-दिशा	3054-सड़क तथा सेतु	8443-सिविल जमा	3.26
102	अन्य रखरखाव व्यय	3054-सड़क तथा सेतु	8443-सिविल जमा	115.90
103	ग्रामीण सड़क-अन्य रखरखाव व्यय	3054-सड़क तथा सेतु	8443-सिविल जमा	1637.85
104	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	3055-सड़क परिवहन	8443-सिविल जमा	1.32
105	पर्यटन केन्द्र	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.74

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
106	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	36.50
107	राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण मिशन	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	461.11
108	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	108.62
109	बी.पी.एल परिवारों को आर्थिक दर पर भोजन की आपूर्ति	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9.05
110	गोदामों का मरम्मत	3456-सिविल पूर्त्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.08
111	भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को उपकर का भुगतान	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.24
112	वाणिज्यिक कर विभाग का भवन	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.03
113	पुलिस भवनों का निर्माण और रखरखाव	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	112.15
114	थाना/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	15.00
115	भवन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	7.08
116	केंद्रीय/मंडल/उप-जेल (गृह जेल विभाग) का भवन निर्माण	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	2.26
117	ब्लॉक के लिए भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	3.70
118	अनुसूचित जाति के लिए भवन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9.91
119	इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों के लिए भवन (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	8.63

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
120	ब्लॉक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण (नाबार्ड सहायता प्राप्त)	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	5.50
121	सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कलेक्ट्रेट एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.74
122	ईवीएम का निर्माण गोदाम (चुनाव विभाग)	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	3.13
123	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	5.27
124	औद्योगिक शिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवनों का निर्माण/पूर्व-निर्माण/उन्नयन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	21.52
125	सांस्कृतिक संरचना	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	13.80
126	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7.00
127	डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम साइंस सिटी	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	5.99
128	ए.डी.आर. की स्थापना वित्त आयोग (कानून विभाग) की सिफारिश पर केंद्र	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.00
129	पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	8.73
130	स्टेडियम और खेल संरचना	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	14.48
131	भवन निर्माण के लिए बिहार फायर ब्रिगेड सेवा	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.65
132	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	639.18
133	होमगार्ड के भवन का निर्माण	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.10
134	सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	4202-शिक्षा, खेल कूद, कला	8448-स्थानीय निधियों की जमा	73.58

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
135	इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग (निश्चय)	4202-शिक्षा, खेल कूद, कला	8443-सिविल जमा	49.58
136	पॉलिटेक्निक भवन (निश्चय)	4202-शिक्षा, खेल कूद, कला	8443-सिविल जमा	4.76
137	राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन (बाह्यसंपोषित योजना)	4202-शिक्षा, खेल कूद, कला	8448-स्थानीय निधियों की जमा	324.92
138	जिला एवं अनुमंडल अस्पताल भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	23.77
139	रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.19
140	स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.57
141	मानसिक स्वच्छता कोईलवर अस्पताल भवन का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.65
142	डेंटल कॉलेज और अस्पताल	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.50
143	नए मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल संस्थान के लिए	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	40.70
144	मानव संसाधन में स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	305.32
145	इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी संस्थान, पटना	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
146	मेडिकल कॉलेज	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	159.87
147	जलने की चोट के लिए रोकथाम और प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमबीआई)	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.19
148	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	64.41
149	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	602.00
150	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1776.60

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
151	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	27.80
152	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	701.50
153	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (नलकूप, कुएं और हैंडपंप)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.40
154	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (नलकूप, कुएं और हैंडपंप)	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	23.00
155	पानी की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला का उन्नयन और निगरानी	4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7.11
156	न्यायाधीश निवास (कानून विभाग)	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	12.34
157	अन्य आवास	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	21.39
158	अल्पसंख्यक आवासी विद्यालय	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.00
159	समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्यााण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	21.62
160	कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी। (गृह विभाग के लिए)	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्यााण पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.73
161	औद्योगिक शिक्षण संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.50
162	लघु निर्माण कार्य	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	15.00
163	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीबी)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	455.00
164	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	415.00
165	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,054.85

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
166	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	234.25
167	ग्रामीण विकास परियोजनाएं (नाबार्ड सहायता प्राप्त योजना)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	68.00
168	सिंचाई सृजित परियोजना	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	32.35
169	सिंचाई सृजित परियोजना (कार्य)	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	119.99
170	सिंचाई सृजित परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना)	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	155.56
171	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	21.55
172	नई/अपूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण	4700-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	7.42
173	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	4700-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	1.16
174	जल जीवन हरियाली (नाबार्ड संपन्न)	4700-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	24.80
175	त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) और जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	196.99
176	बाढ़ नियंत्रण परियोजना (कार्य)	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	47.57
177	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना)	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	9.98
178	नदी प्रबंधन गतिविधि और सीमा क्षेत्र में कार्य	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	35.12
179	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.33
180	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.50
181	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	65.87

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
182	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	191.26
183	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) की परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
179	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.33
180	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.50
181	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	65.87
182	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	191.26
183	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल))	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
184	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना (एनबीपीडीसीएल)	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	389.62
185	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	400.08
186	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड परियोजना	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	62.30
187	रेशम भवन	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.51
188	पुल	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	4.01
189	पुल (नाबार्ड)	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	67.13
190	केन्द्रीय सड़क निधि	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	49.37

अनुबंध-क-क्रमांतः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1(ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
191	मुख्य सड़क	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	97.49
192	पर्यटन संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	2.78
193	पर्यटन संरचनाओं का विकास	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	37.71

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(iv) का संदर्भ)

(क) 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	3,240.62	3,063.65	94.54
2	0059	लोक निर्माण	4.79	4.46	93.03
3	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	27.88	15.67	56.21
4	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	33.75	28.54	85.01
5	0230	श्रम तथा रोजगार	11.36	7.98	70.26
6	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.06	0.06	100.00
7	0401	फसल कृषि कर्म	8.47	4.71	55.68
8	0426	सहकारिता	6.17	3.28	53.10
9	0506	भूमि सुधार	0.14	0.17	117.51#
10	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.10	0.10	100.00
11	0852	उद्योग	0.11	0.11	100.00
12	1053	नागर विमानन	3.15	3.13	99.32
13	1056	सड़क तथा सेतु	0.01	0.01	100.00
14	1456	सिविल पूर्ति	0.01	0.01	100.00

लेखा में ₹0.01 करोड़ की वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 50 से अधिक है।

(स्रोतः भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ख-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(ii) का संदर्भ)

(ख) 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिशतता
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	13.71	17.01	124.09
2	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	53.47	53.47	100.00

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ग

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(vii) का संदर्भ)

प्रमुख शीर्षवार असमायोजित एसी बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि	कुल का प्रतिशत
1.	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,654	6,787.70	50.04
2.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	393	1,246.98	9.19
3.	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	7,833	874.03	6.44
4.	2202-सामान्य शिक्षा	1,444	459.86	3.39
5.	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	474	455.90	3.36
6.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	112	263.33	1.94
7.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	179	252.12	1.86
8.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	59	211.68	1.56
9.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,107	166.71	1.23
10.	2852-उद्योग	84	166.23	1.22
11.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	265	140.39	1.03
12.	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	162	132.32	0.98
13.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	504	125.76	0.93
14.	2403-पशु-पालन	251	104.60	0.77

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(viii) का संदर्भ)

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) हेतु सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2003-04 से 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (8/19 तक)	कुल
1	पंचायती राज विभाग	2,167.91	715.19	585.10	4,865.72	7,933.59	8,762.91	1,891.97	26,922.39
2	शिक्षा विभाग	3,630.94	302.95	1,205.34	1,838.78	3,567.56	3,418.52	5,248.60	19,212.69
3	समाज कल्याण विभाग	243.87	137.13	134.21	583.30	1,992.54	3,763.23	4,087.59	10,941.87
4	नगर विकास एवं आवास विभाग	1,781.64	945.73	876.33	1,023.10	1,724.02	2,440.35	1,231.82	10,022.99
5	ग्रामीण विकास विभाग	70.58	219.43	114.98	13.04	201.66	2,579.89	1,436.15	4,635.73
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	970.22	124.78	47.86	446.29	1,577.92	979.37	317.18	4,463.62
7	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	175.40	41.84	405.16	48.11	1,035.61	1,386.15	906.61	3,998.88
8	आपदा प्रबंधन विभाग	703.77	162.11	134.28	1,120.11	160.84	1,473.42	0.00	3,754.53
9	कृषि विभाग	118.87	189.49	547.61	747.66	839.34	484.87	252.20	3,180.04
10	स्वास्थ्य विभाग	150.05	1.11	2.00	17.29	456.67	1,055.12	514.98	2,197.22

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ङ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xii) का संदर्भ)

उन सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए अनुदान/ऋण जहां खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०.	पीएसयू का नाम	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं							खाते में बकाया (2020-21 तक)
		इक्विटी	ऋण	गारंटी	पूँजीगत मांग	सबसिडि	कुल	वर्ष जिस लेखे में बकाया है	
क.	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**								
1	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	0.00	1,198.00	0.00	12.65	0.00	1,210.65	2019-20	2
2	पटना मैट्रो रेल निगम	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.60	2018-19	3
3	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि.	0.05	0.00	0.00	112.50	0.00	112.55	2018-19	3
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2017-18	4
5	बिहार राज्य खनन निगम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2017-18	4
6	बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	2017-18	4
7	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	2015-16	6
8	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	2017-18	4
9	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	128.91	7.00	300.00	165.00	0.00	600.91	2014-15	9
10	बिहार राज्य बीज निगम लि.	0.00	2.28	0.00	105.39	8.66	116.33	2005-06	16
11	बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि.	0.00	1,114.81	4,027.81	0.00	6283.07	11,425.69	2003-04	18
12	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	20.74	7.49	25.00	0.00	0.00	53.23	1998-99	23
13	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	40.26	2014-15	7
14	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	683.83	0.00	0.00	683.83	2019-20	2
15	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	490.58	46.12	481.10	2,251.37	0.00	3,269.17	2020-21	1
	जोड़- क	**783.83**	**2,415.96**	**5,517.74**	**2,654.59**	**6,291.73**	**17,663.85**		
ख.	**कार्यरत सांविधिक निकाय**								
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	318.24	0.00	157.03	899.81	1,375.08	2017-18	4
2	बिहार राज्य भांडागार निगम लिमिटेड	0.00	0.00	164.01	0.00	0.00	164.01	2015-16	6
	जोड़- ख	**0.00**	**318.24**	**164.01**	**157.03**	**899.81**	**1,539.09**		

अनुबंध-ङ-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xii) का संदर्भ)

उन सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए अनुदान/ऋण जहां खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०.	पीएसयू का नाम	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं							खाते में बकाया (2020-21 तक)
		इक्विटी	ऋण	गारंटी	पूँजीगत मांग	सबसिडि	कुल	वर्ष जिस लेखे में बकाया है	
ग.	**अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**								
1	बिहार राज्य फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	6
2	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2011-12	12
3	बिहार राज्य निगम निर्माण लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	18
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2001-02	20
5	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	2001-02	20
6	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0.00	0.26	0.00	7.14	1993-94	28
7	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	29
8	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	30
9	बिहार राज्य वस्त्र उद्योग निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54	1988-89	33
10	बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22	1986-87	35
11	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	11.21	365.32	0.00	0.00	197.93	574.46	1985-86	36
12	बिहार राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0.00	0.00	0.48	4.45	1984-85	37
13	बिहार पहाड़ी क्षेत्र सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	38
14	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	38
15	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	42
16	बिहार स्कूटर लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	44
	जोड़-ग	**57.38**	**617.89**	**0.00**	**11.26**	**256.37**	**942.90**		
	जोड़- (क+ख+ग)	**841.21**	**3,352.09**	**5,681.75**	**2,822.88**	**7,447.91**	**20,145.84**		

(स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं टीएससी से प्रदत्त आँकड़ा)

अनुबंध-च

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xiv) का संदर्भ)

परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	वर्ष के दौरान व्यय	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान में व्यय का प्रतिशत
1	2215	01	102	476.72	833.09	57.22
		02	105	514.58	1,579.48	32.58
		02	789	362.54	645.99	56.12
		02	796	12.22	40.50	30.17
		02	191	161.74	161.75	99.99
		02	192	12.33	20.00	61.65
		02	193	5.30	10.00	53.00
2	2217	01	001	5.99	6.56	91.31
		03	051	1,076.45	2,436.73	44.18
		03	192	35.94	52.50	68.46
		03	193	22.43	107.92	20.78
		80	001	7.00	159.72	4.38
3	2406	01	001	118.95	124.18	95.79
		01	105	0.00	22.07	0.00
		01	789	57.57	72.00	79.96
		01	796	4.49	4.50	99.78
		04	101	3.88	18.14	21.39
		04	789	0.39	0.39	100.00
		04	796	0.10	0.16	62.50
4	2810	60	600	21.53	34.46	62.48
5	2852	80	102	160.63	266.26	60.33
6	3435	04	101	10.00	10.00	100.00
7	4202	01	201	0.00	225.00	0.00
		01	202	398.49	882.77	45.14
8	4711	01	051	660.87	1,225.11	53.94
		01	789	101.91	210.00	48.53

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-छ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4(iii) का संदर्भ)

उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	314.56	0.00	289.23	0.00	313.90	0.00
निवल	**(नामे) 314.56**		**(नामे) 289.23**		**(नामे) 313.90**	
8658-102-उचंत लेखा (सिविल)	4,408.94	452.87	10,495.81	638.35	15,598.70	1,070.92
निवल	**(नामे) 3,956.07**		**(नामे) 9,857.46**		**(नामे) 14,527.78**	
8658-110-रिजर्व बैंक उचंत- केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,280.04	894.61	1,194.19	894.61	1,501.24	895.64
निवल	**(नामे) 385.43**		**(नामे) 299.58**		**(नामे) 605.60**	
8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	16,746.56	15,838.27	16,748.75	15,837.56	16,749.16	15,837.54
निवल	**(नामे) 908.29**		**(नामे) 911.19**		**(नामे) 911.62**	
8782-103-वन प्रेषण	3,146.33	2,937.60	3,146.65	2,938.38	3,147.35	2,943.86
निवल	**(नामे) 208.73**		**(नामे) 208.27**		**(नामे) 203.49**	

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ज

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जल संसाधन विभाग										
1	नवानगर में मलाई बैराज का निर्माण कार्य	47.52 *	2013	2022	72	4.98	27.82	1.00	*	*
2	रोहतास में दुर्गावती दाहिनी मुख्य नहर के चैन सं० 373.00 से निकलने वाले बिलासपुर वितरण का निर्माण कार्य	3.13 *	2015-16	2022	70	*	1.90	0.31	*	*
3	गया के पुनपुन में हामिदनगर बैराज का निर्माण कार्य	89.57 dt.10/05/05	2005	2008	56	*	50.46	*	*	*
4	वैशाली शाखा नहर से निसृत हाजीपुर विरतणी एवं भगवानपुर वितरणी में संरचनाओं का निर्माण कार्य	1.15 *	2015	2016	59	*	0.68	*	*	*
5	तिरहुत मुख्य नहर के वि.दू. 790.00 से 806.40 तक नहर निर्माण, संरचना निर्माण एवं लाईनिंग कार्य (मे. बालाजी इनटरप्राईजेज)	01SBD/2016-17 dt.23/10/16 ₹35.83 02SBD/SUP/2017-18 dt.18/12/17 ₹3.58 03SBD/SUP/2017-18 dt.06/02/18 ₹6.35 कुल Sgr. ₹45.77	2016	2018	82	2.86	36.28	9.48	*	*
6	तिरहुत मुख्य नहर के वि.दू. 790.00 से 806.40 सर्वेक्षण कार्य (आयमन्स इन्फ्रा सर्वे)	01F2/2014-15 dt.16/09/14 ₹0.35 02SBD/2014-15 dt.16/09/14 ₹2.33 01F2/SUP/2016-17 dt.17/02/2017 ₹0.68 02SBD/SUP/2016-17 dt.20/02/2017 ₹4.34	2014	2018	68	*	4.21	3.49	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, बिहार (नई प्रमुख ईआरएम) के जीर्णोद्धार कार्य के तहत चांदपुर वितरिका एवं उसकी वितरण प्रणाली, कन्हॉली उप-वितरक एवं उसकी वितरण प्रणाली, भावराजपुर उप-वितरक एवं उसकी वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	1.58 dt.02/01/15	2014-15	2017-18	0.58	4.32	96.44	*	*	*
8	हथुआ शाखा नहर (90.00 से 183.40 आरडी) और इसकी वितरण प्रणाली और गुठनी वितरक और इसकी वितरण प्रणाली टिट्रा उप वितरक और इसकी वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य पश्चिमी गंडक काना प्रणाली बिहार ''सारण नहर और इसकी वितरण प्रणाली बिहार (नई प्रमुख ईआरएम) की बहाली	1.59 dt.30/01/15	2014-15	2017-18	15	*	24.40	*	*	*
9	किंग्स नहर के क्रमशः 22.10, 29.00, 33.32 और 50. 90 से माइनर ओ.आर2 (बिजखाना माइनर), ओरआर3 (जमुरी माइनर), ओएल2 (एरर माइनर), ओएल3 (बालाल सब डिस्टी) के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू और संरचना का निर्माण (दरभंगा में उदा. एस.बी.सी. का आर.डी. 8.20) सिस्टम	6.15 dt.28/07/14	2014-15	2015-16	36	0.46	2.22	*	*	3.93

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	दरभंगा में किंग्स कैनाल (पूर्व एस.बी.सी. का आरडी 8. 20) सिस्टम क्रमशः 34.33 और 59.07 से माइनर्स ओर4 (परसौनी सब डायस्टी), ओर7 (खैरी बांका माइनर) के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य	8.43 dt.28/07/14	2014-15	2015-16	43	0.81	3.59	*	*	4.84
11	दरभंगा में किंग्स कैनाल (पूर्व एस.बी.सी. का आरडी 8. 20) सिस्टम से माइनर्स ओआर 8 ऑफ टेकिंग के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू और संरचना का निर्माण कार्य	5.98 dt.11/11/14	2014-15	2015-16	36	0.09	2.13	*	*	3.85
12	दरभंगा में किंग्स कैनाल (पूर्व एस.बी.सी. का आरडी 8. 20) सिस्टम के आरडी 50.90 और 59.07 से माइनर ओआर 6 (मिमारी सब-डिस्टी) और ओएल 4 (भोजपरौल माइनर) के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू और संरचना का निर्माण कार्य	4.77 dt.03/01/15	2014-15	2015-16	45	0.82	2.12	*	*	2.64
13	दरभंगा में किंग्स कैनाल (पूर्व एस.बी.सी. का आरडी 8. 20) प्रणाली के ओएल 5 (दारिमा उप-जिला) के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू और संरचना का निर्माण कार्य	8.11 dt.08/04/15	2015-16	2016-17	40	0.29	3.24	*	*	4.87
14	दरभंगा में डब्ल्यू.के.एम.सी. के सब माइनर ऑफटेकिंग आरडी 178.00 के साथ मलमल माइनर के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू एवं संरचना का निर्माण कार्य	1.84 dt.05/09/16	2016-17	2017-18	25	0.46	0.46	*	*	1.38

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	दरभंगा में डब्ल्यू.के.एम.सी. के सब माइनर ऑफटेकिंग आरडी 178.00 के साथ कालिकापुर माइनर के अवशिष्ट ई/डब्ल्यू एवं संरचना का निर्माण कार्य	1.57 dt.24/09/16	2016-17	2017-18	4	0.07	0.07	*	*	1.50
16	पश्चिमी गंडक नहर पुर्नस्थापन कार्य ग्रुप सं0-08	14.84 *	2014-15	2019-20	23	*	3.54	*	*	*
17	बिदेश्वर स्थान उप शाखा नहर के वि0दू0 0.00 से 45.00 के बीच से निसृत उप वितरणी, लघु नहर एवं उप लघु नहर का अवशेष मिट्टी एवं संरचना निर्माण कार्य 01एस.बी.डी./2014-15 (13.12.2014)	2.62 *	2014-15	2015-16	10	0.26	*	*	*	*
18	बिदेश्वर स्थान उप शाखा नहर के वि0दू0 66.10 से 88.40 के बीच से निसृत लघु नहर एवं उप लघु नहर का अवशेष मिट्टी एवं संरचना निर्माण कार्य 06एफ02/2014-15(19.02.2015)	1.30 *	2014-15	2015-16	68	0.88	*	*	*	*
19	बिदेश्वर स्थान उप शाखा नहर के वि0दू0 45.00 से 73.30 के बीच से निसृत उप वितरणी, लघु नहर एवं उप लघु नहर का अवशेष मिट्टी एवं संरचना निर्माण कार्य 01एस.बी.डी./2015-16(06.04.2015)	5.11 *	2015-16	2016-17	43	2.19	*	*	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	सीवान जिला में ''पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, बिहार का जीर्णोद्धार कार्य'' (सारण मुख्य नहर एवं उसकी वितरण प्रणाली) के अंतर्गत सारण मुख्य नहर एवं उसकी लघु वितरण प्रणाली, बिशनपुर वितरिका एवं सिधावलिया वितरिका एवं उसकी वितरण प्रणाली, पिथौरी वितरिका एवं उसकी वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	75.32 dt.31/10/14	2014-15	2017-18	62	0.65	47.29	*	*	*
21	सीवान जिला में ''पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, बिहार का जीर्णोद्धार कार्य'' (सारण मुख्य नहर एवं उसकी वितरण प्रणाली), बिहार (नई प्रमुख ई0आर0एम0)	219.36 dt.02/02/15	2014-15	2017-18	12	*	26.00	*	*	*
22	गोह में पुनपुन शाखा नहर एस0बी0डी0- 1/2016-17	43.95 *	2016	2018	13	*	9.46	*	*	*
23	गोह में किंगर डिस्ट्रीब्यूटरी एस0बी0डी0- 2/2016-17	9.12 *	2017	2018	56	*	5.26	*	9.40	
24	छपरा में छपरा शाखा नहर एवं उसकी वितरण प्रणाली (ग्रुप नं0-05) का जीर्णोद्धार कार्य	114.94 *	2014-15	2021-22	65	1.73	2.73	1.00	*	*
25	छपरा में पाथेड़ा शाखा नहर एवं सलेमपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, सुल्तानपुर डिस्ट्रीब्यूटरी एवं इसकी वितरण प्रणाली का जीर्णौद्धार (ग्रुप नं0-06)	222.56 *	2014-15	2021-22	68	0.30	*	*	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग										
1	भागलपुर जिलान्तर्गत बहुग्रमीण जलापूर्ति योजना	71.28 *	2013-14	2017-18	57	5.08	35.59	30.62	**	**
2	बेगूसराय जिला अन्तर्गत मटिहानी एम०वी०एस० का निर्माण कार्य	191.78 *	2015	2018	49	38.85	121.68	*	*	*
भवन निर्माण विभाग										
1	पटना जिला अन्तर्गत शीर्ष 4216017000101 (क) विधायक आवासन एम0एल0सी0 परिसर का निर्माण कार्य	116.43 *	2016-17	2020-21	65	0.08	88.65	*	450.32	*
2	कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य	100.73 dt.24/08/16	2016-17	2018-19	67	66.25	66.25	34.47	*	*
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन										
1	पटना मे शहरी पंचायत (बाढ़), कर्जन पंचायत (बेलछी) मे पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य	2.64 dt.22/07/13	2014-15	2015-16	64	0.58	1.70	0.94	*	*
2	पटना में फतुहा के पास गंगा और पुनपुन नदियों के मिलन स्थल त्रिवेणी घाट का विकास और सौंदर्यीकरण	2.38 dt.12/09/12	2012-13	2014-15	76	0.40	1.83	0.55	*	*
3	पटना में फतुहा के पास गंगा और पुनपुन नदियों के मिलन स्थल कटैया घाट का विकास और सौंदर्यीकरण	2.35 dt.12/09/13	2013-14	2014-15	68	0.30	1.61	0.74	*	*
4	पटना शहर में खानकाह मुनिमिया के परिसर में सूफी अनुसंधान केन्द्र का निर्माण कार्य	1.25 dt.20/11/13	2014-15	2015-16	64	0.31	0.81	0.44	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	पटना शहर में खानकाह मुनिमिया के परिसर में विश्राम गृह का निर्माण कार्य	1.61 dt.20/11/13	2014-15	2015-16	63	0.49	1.02	0.59	*	*
6	पटना के गुलजारबाग में स्पोर्ट्स एरिना स्टेडियम का निर्माण कार्य	1.53 dt.03/05/14	2014-15	2015-16	89	0.19	1.37	0.17	*	*
7	पटना के डाक बंगला बख्तियारपुर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	3.51 dt.21/03/16	2016-17	2017-18	50	1.76	1.76	1.75	*	*
8	पटना के बाढ़ प्रखंड में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	3.12 dt.01/07/16	2016-17	2017-18	25	0.80	0.80	2.32	*	*
9	पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य 1. पचरौर पंचायत के तहत टीकमपुर 2. तरैया के तहत गैहरखपुरा 3. ईशुआपुर पंचायत के तहत रामचौरा	2.37 dt.01/10/13	2013	2014	60	*	1.31	*	*	*
10	शेरघाटी में मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत अमकोला, धरहरा एवं बगुला पंचायत शासकीय भवन का निर्माण कार्य	2.58 *	2013	2014	83	*	1.85	*	*	*
11	शेरघाटी में डुमरिया प्रखंड अंतर्गत पंचायत पनकारा एवं सेवड़ा में पंचायत शासकीय भवन का निर्माण कार्य	1.72 *	2013	2014	77	*	1.05	*	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	वैशाली में बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत चकसिकन्दर कल्याणपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य वैशाली में बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत बिदुपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य वैशाली में बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत दाउदनगर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य	2.51	2013-14	2014-15	85	*	1.36	*	*	*
13	सीवान के जिरादेई में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य	1.01 *	2014-15	2017-18	80	*	0.53	0.48	*	*
14	बेगूसराय जिले के अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य	1.06 dt.10/03/17	2016-17	2017-18	80	0.47	0.47	0.51	*	*
15	शेरघाटी में मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत अमकोला, धरहरा एवं बगुला में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य	2.58 *	2013	2014	83	*	1.85	*	*	*
16	शेरघाटी में डुमरिया प्रखंड अंतर्गत पंचायत पंकारा एवं सेवड़ा में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य	1.72 *	2013	2014	77	*	1.05	*	*	*
पथ निर्माण विभाग										
1	सीवान में आरसीडी के तहत बदरजिमी-ग्यानी मोरे से खानपुर तक सड़क) के लिए 6.103 किमी से 11.123 (लम्बाई 5.02 किमी) तक निर्माण/सुधार सह (सीएमबीडी) कार्य	11.75 dt.24/08/15	2015-16	2020-21	0.79	0.45	9.23	2.52	*	2.52

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	सीवान में सीएमबीडी के तहत वर्ष 2014-15 के लिए महाराजगंज तरवारा रोड का 0.00 से 10.20 किमी में आईआरक्यूपी कार्य	16.66 dt.31/12/14	2015-16	2020-21	82.91	0.43	13.81	2.85	*	2.85
3	सीवान में सीएमबीडी के तहत वर्ष 2013-14 के लिए जीरोदेई से नरेन्द्रपुर सड़क के लिए 0.00 से 5.00 किमी निर्माण/सुधार (चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण) सह सीएमबीडी कार्य	5.98 dt.22/02/14	2014-15	2020-21	86.93	0.77	5.20	0.78	*	0.78
4	सीवान में सीएमबीडी के तहत वर्ष 2015-16 के लिए सड़क संभाग, सीवान अंतर्गत चौरौली-बड़कागाँव-नागौली-सिपाह-बसंतपुर सड़क का निर्माण/सुधार कार्य	9.90 dt.19/08/15	2015-16	2021-22	81.89	0.44	8.11	1.79	*	1.79
5	सीवान में वर्ष 2013-14 के लिए अंदर-रघुनाथपुर रोड के लिए 0.0-11.40 किमी से निर्माण/सुधार (चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण) सह उत्पादन और प्रदर्शन आधारित सड़क सम्पत्ति रखरखाव कार्य	22.59 dt.11/02/14	2014-15	2020-21	79.5	1.98	17.96	4.63	*	4.63
6	पटना में एसएच-100 (बंधुगंज-रोहानी) धनरूआ-टंडवा चंधरिया सड़क निर्माण सह रखरखाव बोली दस्तावेज में किमी 0.00 से किमी 10.966 में रखरखाव कार्य के साथ निर्माण/सुधार कार्य	20.40 dt.28/11/14	2014-15	2017-18	80	12.36	16.02	4.38	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	पटना में दीदारगंज बख्तियारपुर रोड (एसएच-106) (निर्माण सह रखरखाव बोली दस्तावेज) के किमी 01 से 36 (पी) (कुल लम्बाई 35.6 किमी सड़क लम्बाई) में सुधार एकीकृत सवारी मात्रा फुटपाथ कार्य	98.46 dt.31/07/15	2015-16	2017-18	80	70.41	75.69	22.77	*	*
8	पटना में निर्माणाधीन सह अनुरक्षण बोली दस्तावेज के तहत उल्लर मसौढ़ी रोड (11.30 किमी से 21.80 किमी) का सुधार/सुदृढ़ीकरण कार्य	20.97 dt.31/07/15	2016-17	2017-18	70	14.58	14.58	6.39	*	*
9	पटना में निर्माणाधीन सह अनुरक्षण बोली दस्तावेज के तहत एनएच-83 (पुनपुन) से अकबरपुर और नवादा, राजगढ़ पथ से किलोमीटर 0.00 से 11.70 तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य	17.00 dt.05/08/15	2015-16	2017-18	25	3.53	3.66	13.34	*	*
10	पटना में मिल्कीचक मौजा में पार्किंग क्षेत्र बाईपास थाना पटना (एन.एच.-30 के सामने) में यातायात तक पहुंचने के लिए अस्थायी सड़क	4.32 dt.16/03/17	2016-17	2017-18	70	2.72	2.72	1.60	4.32 dt.16/03/17	
11	पटना में तिसखोरा से करौना (एनएच-83) सड़क के 13वें किमी में मोरहर नदी पर 3x18.0 मीटर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	4.08 dt.28/11/14	2016-17	2017-18	20	3.44	3.44	0.65	*	*

अनुबंध-च-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	मधुबनी में वर्ष 2014-15 के लिए पटघाट-बिरौल-निर्भापुर-गंगद्वार-भगवानपुर (किमी 0.00 से 26.00) सड़क के लिए निर्माण/सुधार सह उत्पादन एवं प्रदर्शन आधारित सड़क सम्पत्ति अनुरक्षण कार्य	24.71 dt.01/04/15	2015	2021	89	0.00	22.00	2.71	*	*
13	मधुबनी में वर्ष 2014-15 के लिए रामपट्टी-कोईलाख-निर्भापुर-रामखेतारी (किमी 0.00 से 13.20) सड़क के लिए निर्माण/सुधार सह उत्पादन एवं प्रदर्शन आधारित सड़क सम्पत्ति अनुरक्षण कार्य	11.69 dt.08/05/15	2015	2021	78	0.00	9.17	2.52	*	*
14	मधुबनी में वर्ष 2016-17 के लिए भूपट्टी चौक से रामपुर चौक सड़क (किमी 0.00 से 4.20) सड़क के लिए निर्माण/सुधार सह उत्पादन एवं प्रदर्शन आधारित सड़क सम्पत्ति अनुरक्षण कार्य	7.38 dt.28/03/16	2016	2022	82	0.00	5.57	1.82	*	*
15	मधुबनी में सड़क संभाग के अंतर्गत पद्म-सिद्धपकला रोड (दूसरी से चौथी किमी यानी सिधपकला गाँव से सिधपकला चौक भाग) सड़क के लिए निर्माण/सुधार सह आउटपुट और प्रदर्शन आधारित सड़क सम्पत्ति रखरखाव कार्य	2.53 dt.28/03/16	2016	2022	76	0.00	2.23	0.30	*	*

अनुबंध-च-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 2(xvi) का संदर्भ)

पाँच वर्ष तथा उससे अधिक समय के अधूरे कार्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	वर्ष 2012-13 में बक्सर में एनएच-84 से नीमेज-सिमरा-गंगौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	9.63 dt.26/12/12	2012-13	2014-15	55	*	5.43	*	*	*
ग्रामीण कार्य विभाग										
1	एल0 48 - टेकारी मे एंटी टी04 से फतेहपुर (भीआर 48)-550 तक का कार्य	4.17 *	2014-15	2015-16	50	*	3.10	*	*	*
2	समस्तीपुर जिला मे योगी चौक से बलहा हरिजन टोला तक कार्य	1.08 *	2016-17	2017-18	70	*	0.75	0.24	*	*

स्रोत: राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

$ केवल वे अपूर्ण लोक कार्य सम्मिलित किए गए है, जिनका लागत एक करोड़ या एक करोड़ से अधिक है

* प्रमण्डल/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश की तिथि उपलब्ध नहीं है

** प्रमण्डल/राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है

प्रमण्डल/राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की तिथि उपलब्ध नहीं है

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in